

स्टेट बैंक समूह State Bank Group

नई पूँजी पर्याप्तता संरचना (बेसल - II) New Capital Adequacy Framework (Basel - II)

स्तंभ - III (बाजार अनुशासन) प्रकटीकरण Pillar - III (Market Discipline) Disclosures

भारतीय स्टेट बैंक (समेकित), दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तालिका डी एफ-1 कार्यान्वयन क्षेत्र

1.गुणात्मक प्रकटीकरण:

- 1.1 मूल कंपनी: भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है, जिस पर यह बेसल-II संरचना लागू होती है.
- 1.2 स्टेट बैंक समूह में शामिल कंपनियां

समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों, जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश, लेखामानक/आइसीएआइ द्वारा जारी मार्गदर्शक टिप्पणियाँ शामिल हैं, के अनुरूप हैं। स्टेट बैंक समूह में निम्नलिखित अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी हैं।

1.2.1 **पूर्णतः समेकित कंपनियाः** निम्नलिखित अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों (जो अनुषंगियाँ भी हैं) को लेखामानक एएस 21 के अनुसार अक्षरशः समेकित किया गया है।

क्रमांक	अनुषंगी का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	75.07
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	100.00
3	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर (25 अगस्त, 2010 तक)	98.05
4	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	92.33
5	स्टेट बैंक ऑफ पर्टियाला	100.00
6	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	75.01
7	एस बी आई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड	100.00
8	एस बी आई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	100.00
9	एस बी आई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	100.00
10	एस बी आई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	100.00
11	एस बी आई कैप्स वेंचर्स लिमिटेड	100.00
12	एस बी आई डी एफ एच आई लिमिटेड	71.56
13	एस बी आई म्यूचुअल फण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	100.00
14	एस बी आई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	86.82
15	एस बी आई पेंशन फंड प्रा. लि.	98.15
16	एस बी आई - एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लि.	65.00
	(पूर्ववर्ती नाम एस बी आई कस्टोडियल सर्विसेस प्रा. लि.)	
17	एस बी आइ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	74.00
18	एस बी आइ पैमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	100.00
19	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	100.00
20	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	100.00
21	एस बी आइ (मारीशस) लिमिटेड	93.40
22	पी टी बैंक एस बी आई इंडोनेशिया	76.00
23	एस बी आई कैप (यू के) लि.	100.00
24	एस बी आई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	60.00
25	एस बी आई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	63.00
26	एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	74.00
27	कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी. मास्को	60.00
28	नेपाल एस बी आई बैंक लि.	55.05
29	एस बी आई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.	63.00
30	एस बी आई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड	100.00

1.2.2 आनुपातिक समेकित कंपनियाँ : जो कंपनियाँ संयुक्त उद्यम हैं, उनका समेकन लेखा मानक-एएस 27 के अनुसार आनुपातिक आधार पर किया गया है।

क्रमांक	संयुक्त उद्यम का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1	सी ऐज टेक्नोलॉजीस लि.	49.00
2	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	40.00
3	एस बी आई मैक्वैरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	45.00
4	एस बी आई मैक्वैरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	45.00
5	मैक्वैरी एस बी आई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई. लि.	45.00
6	मैक्वैरी एस बी आई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	45.00
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	50.00
8	ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी लि.	50.00

1 Qualitative Disclosures

1.1 Parent: State Bank of India is the parent company to which the Basel II Framework applies.

1.2 Entities constituting State Bank Group

The consolidated financial statements of the group conform to Generally Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise the statutory provisions, Regulatory/Reserve bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/guidance notes issued by the ICAI. The following subsidiaries/Joint Ventures and Associates constitute the State Bank Group

1.2.1 Fully Consolidated Entities: The following Subsidiaries and Joint Ventures (which are also subsidiaries) are fully consolidated on a line by line basis as per Accounting Standard AS 21.

S.No	Name of the Subsidiary	Group's Stake (%)
1)	State Bank of Bikaner & Jaipur	75.07
2)	State Bank of Hyderabad	100.00
3)	State Bank of Indore (upto 25 th August, 2010)	98.05
4)	State Bank of Mysore	92.33
5)	State Bank of Patiala	100.00
6)	State Bank of Travancore	75.01
7)	SBI Commercial & International Bank Ltd	100.00
8)	SBI Capital Markets Ltd	100.00
9)	SBICAP Securities Ltd	100.00
10)	SBICAP Trustee Company Ltd	100.00
11)	SBICAPS Ventures Ltd	100.00
12)	SBI DFHI Ltd	71.56
13)	SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt Ltd	100.00
14)	SBI Global Factors Ltd	86.82
15)	SBI Pension Funds Pvt Ltd	98.15
16)	SBI – SG Global Securities Services Pvt. Ltd. (Formerly known as SBI Custodial Services Pvt Ltd)	65.00
17)	SBI General Insurance Company Ltd.	74.00
18)	SBI Payment Services Pvt. Ltd.	100.00
19)	State Bank of India (Canada)	100.00
20)	State Bank of India (California)	100.00
21)	SBI (Mauritius) Ltd	93.40
22)	PT Bank SBI Indonesia	76.00
23)	SBICAP (UK) Ltd	100.00
24)	SBI Cards and Payment Services Pvt. Ltd.	60.00
25)	SBI Funds Management Pvt. Ltd.	63.00
26)	SBI Life Insurance Company Ltd.	74.00
27)	Commercial Bank of India LLC, Moscow	60.00
28)	Nepal SBI Bank Ltd	55.05
29)	SBI Funds Management (International) Pvt. Ltd.	63.00
30)	SBICAP (Singapore) Ltd.	100.00

1.2.2 Pro Rata Consolidated Entities: The entities which are joint Ventures are consolidated pro rata as per Accounting Standard – AS27.

S.No	Name of the Joint Venture	Group's Stake(%)
1)	C Edge Technologies Ltd	49.00
2)	GE Capital Business Process Management Services Pvt Ltd	40.00
3)	SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.	45.00
4)	SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.	45.00
5)	Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.	45.00
6)	Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.	45.00
7)	Oman India Joint Investment Fund-Trustee Company P Ltd	50.00
8)	Oman India Joint Investment Fund-Management Company P Ltd	50.00

1.2.3 स्टेट बैंक की सभी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी बैंकों का समेकन किया गया है। इसलिए ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसे समेकन में शामिल न किया गया हो। उपर्युक्त अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों के अलावा, निम्नलिखित सहयोगियों का समेकन लेखा मानक 23 के अनुसार ईक्विटी लेखाकरण आधार पर किया गया है।

क्रमांक	सहयोगी का नाम	समूह की हिस्सेदारी $(\%)$
1	आंध्र प्रदेश ग्रामीणा विकास बैंक	35.00
2	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	35.00
3	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	35.00
4	इलाकाई देहाती बैंक	35.00
5	मेघालय ग्रामीण बैंक	35.00
6	कृष्णा ग्रामीणा बैंक	35.00
7	नंगी देहांगी रूरल बैंक	35.00
8	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	35.00
9	मिजोरम रूरल बैंक	35.00
10	नागालैंड रूरल बैंक	35.00
11	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	35.00
12	पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35.00
13	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35.00
14	उत्कल ग्राम्य बैंक	35.00
15	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	35.00
16	वनांचल ग्रामीण बैंक	35.00
17	मारवाड़ गंगानगर बीकानेर ग्रामीण बैंक	26.27
18	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35.00
19	डेक्कन ग्रामीणा बैंक	35.00
20	कावेरी कल्पतरू ग्रामीणा बैंक	32.32
21	मालवा ग्रामीण बैंक	35.00
22	सौराष्ट्र ग्रामीणा बैंक	35.00
23	दि क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	29.22
24	बैंक ऑफ भूटान लि.	20.00
25	एस. एस. वेंचर्स सर्विसेस लिमिटेड	50.00
26	एसबीआइ होम फाइनेंस लिमिटेड	25.05

1.3 लेखाकरण एवं विनियामक प्रयोजनों के लिए समेकन के आधार में अंतर

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित बैंक, समूह की उन कंपनियों को समेकन से बाहर रख सकता है जो बीमा व्यवसाय एवं ऐसे व्यवसाय से जुड़ी हैं जो वित्तीय सेवाओं से संबंधित नहीं है। इसलिए समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्टिंग प्रयोजनों से निम्नलिखित संस्थाओं में समूह के निवेशों को लागत आधार पर लिया गया है और उसमें से क्षरण को घटाया गया है, यदि कोई थे।

क्रमांक	संयुक्त उद्यम का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1	सी एज टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेंड	49.00
2	जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	40.00
3	एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	74.00
4	एस बी आई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	74.00

2. मात्रात्मक प्रकटीकरण :

- 2.1 सभी अनुषंगियों की पूँजी अभाव की कुल राशि को समेकन में शामिल नहीं किया गया है अर्थात् इन्हें हटा दिया गया है एवं ऐसी अनुषंगियों का नाम (के नाम) : कोई नहीं
- 2.2 बीमा कंपनियों में बैंक के कुल हिस्से की कुल राशियाँ (अर्थात् वर्तमान बही-मूल्य) जो जोखिम भारित हैं, उनके नाम, उनके निगमन या निवास का देश, स्वामित्व हिस्से का अनुपात, और यदि भिन्न हो तो इन संस्थाओं में मताधिकार का अनुपात और इसके अतिरिक्त इस पद्धित की तुलना में कटौती पद्धित का उपयोग करने पर विनियामक पूँजी पर परिमाणात्मक प्रभाव को सूचित करता है:

1) नाम : एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई

निगमन देश : भारत

स्वामित्व हिस्सा : **₹ 740.00 करोड़** (74%)

2) नाम : एस बी आई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई

निगमन देश : भारत

स्वामित्व हिस्सा : ₹ **111.00 करोड़** (7**4**%)

विनियामक पूँजी पर परिमाणात्मक प्रभाव :

समेकन पद्धति के अधीन : लागू नहीं

कटौती पद्धित के अधीन : पूँजी पर्याप्तता की गणना के प्रयोजन से बीमा अनुषंगी में किए गए कुल निवेश को बैंक की पूँजी निधियों में से घटाया गया है।

1.2.3 All the subsidiaries, joint ventures and associates of State Bank are consolidated. Hence there is no entity which is excluded from consolidation. In addition to the above mentioned Subsidiaries and Joint Ventures, the following associates are consolidated as per Equity Accounting in terms of AS 23.

S.No	Name of the Associate	Group's Stake (%)
1)	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	35.00
2)	Arunachal Pradesh Rural Bank	35.00
3)	Chhatisgarh Gramin Bank	35.00
4)	Ellaquai Dehati Bank	35.00
5)	Meghalaya Rural Bank	35.00
6)	Krishna Grameena Bank	35.00
7)	Langpi Dehangi Rural Bank	35.00
8)	Madhya Bharat Gramin Bank	35.00
9)	Mizoram Rural Bank	35.00
10)	Nagaland Rural Bank	35.00
11)	Parvatiya Gramin Bank	35.00
12)	Purvanchal Kshetriya Gramin Bank	35.00
13)	Samastipur Kshetriya Gramin Bank	35.00
14)	Utkal Gramya Bank	35.00
15)	Uttaranchal Gramin Bank	35.00
16)	Vananchal Gramin Bank	35.00
17)	Marwar Ganganagar Bikaner Gramin Bank	26.27
18)	Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank	35.00
19)	Deccan Grameena Bank	35.00
20)	Cauvery Kalpatharu Grameena Bank	32.32
21)	Malwa Gramin Bank	35.00
22)	Saurashtra Grameena Bank	35.00
23)	The Clearing Corporation of India Ltd.	29.22
24)	Bank of Bhutan Ltd.	20.00
25)	S.S. Ventures Services Ltd.	50.00
26)	SBI Home Finance Ltd.	25.05

1.3 Differences in basis of consolidation for accounting and regulatory purposes

In terms of Regulatory guidelines, the consolidated bank may exclude from consolidation, group companies which are engaged in insurance business and business not pertaining to financial services. Hence the groups' investments in the under mentioned entities are taken at cost less impairment, if any, for Consolidated Prudential Reporting purposes.

S.No	Name of the Joint Venture	Group's Stake (%)
1)	C Edge Technologies Ltd.	49.00
2)	GE Capital Business Process Management Services Pvt Ltd.	40.00
3)	SBI Life Insurance Company Ltd.	74.00
4)	SBI General Insurance Company Ltd.	74.00

2. Quantitative Disclosures:

- 2.1 The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the names(s) of such subsidiaries: Nil
- 2.2 The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities in addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction:

1) Name : SBI Life Insurance Co. Ltd. Mumbai

Country of Incorporation : India

Ownership interest : ₹ 740 crores (74%)

2) Name : SBI General Insurance Co. Ltd. Mumbai

Country of Incorporation : India

Ownership interest : ₹ 111 crores (74%)

Quantitative Impact on the regulatory capital:

Under consolidation method : NA

Under deduction method: Entire investment made in the Insurance subsidiary is reduced from Capital Funds of the Bank, for the purpose of Capital Adequacy calculation.

तालिका डीएफ - 2 पूँजी संरचना : प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकण

(क) सारांश

क) साराश	
पूँजी का प्रकार	विशेषताएँ
ईक्विटी (श्रेणी-I)	देशी बैंकिंग अनुषंगियों ने ईक्विटी लिखतों के जिये ईक्विटी जुटाई है। प्रमुख शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक है, जबकि उनमें से कुछ जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एवं स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर के पास पब्लिक शेयरधारिता भी है। वित्त वर्ष 2010-11 की दूसरी तिमाही के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का अधिग्रहण किया गया। यह अधिग्रहण 26 अगस्त 2010 से प्रभावी हुआ।
	वर्ष के दौरान स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने राइट इश्यू के द्वारा ₹ 10.80 करोड़ की राशि जुटाई।
	देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियों ने ईविकटी लिखतों के माध्यम से ईविकटी जुटाई है। प्रमुख शेवरधारक भारतीय स्टेट बैंक है तथा अन्य शेवरधारक इस प्रकार हैं- एसजीएएम (एसबीआइ फंड्स - 37%), जीई कैपिटल (एसबीआइ कार्डस-40%), सिडबी (एसबीआइ जीएफएल 5.89%), वैंक ऑफ महाराष्ट्र (एसबीआइ जीएफएल 4.39%), यूवीआई (एसबीआइ जीएफएल 2.95%)।
	वर्ष 2010-11 के दौरान एस बी आई कार्ड्स में दोनों हित धारकों द्वारा धारित ईक्विटी के अनुपात में ₹ 95 करोड़ का ईक्विटी पूंजी के रूप में निवेश किया गया।
	एसबीआई डीएफएचआई की शेयर धारिता पैटर्न में परिवर्तन हुआ। ₹ 13.64 करोड़ मूल्य के शेयर एशियाई विकास बैंक से भारतीय स्टेट बैंक को अंतरित हुए। डीएफएचआई द्वारा 25% पुन: खरीद की गई जिसके फलस्वरूप कुल सदत शेयरपूंजी ₹ 290.91 करोड़ से घटकर ₹ 218.18 करोड़ रह गई।
	एसबीआई जीएफएल मार्च 2011 में ₹ 15.625 करोड़ का राइट इश्यू लाया।
	वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई कैलिफोर्निया में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया।
नवोन्मेषी लिखत (श्रेणी-I)	भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2010-11 में नवोन्मेषी परपेचुअल ऋण लिखतों (आईपीडीआई) के जरिये कोई गूंजी नहीं जुटाई।
	कुछ बैंकिंग अनुषंगियों ने भी आईपीडीआई के जरिये पूंजी जुटाई। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ने ₹ 200 करोड़ की राशि के परपेचुअल बॉन्ड जुटाए।
	विदेशी अनुषंगी बैंकों ने आज की तारीख में नवोन्मेषी परपेचुअल ऋण लिखतों के जरिये श्रेणी-I की पूँजी नहीं जुटाई।
श्रेणी-II	भारतीय स्टेट बैंक तथा उसकी अनुषंगियों ने उच्चतर तथा न्यूनतर श्रेणी-II की पूँजी जुटाई। बाण्डों के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए गौण ऋण दीर्घाविधि, अपरिवर्तनीय और सममूल्य पर मोचन योग्य हैं। इस ऋण को बैंक की वर्तमान एवं भावी वरिष्ठ ऋणप्रस्तता समझा गया है और यह श्रेणी-II पूंजी के लिए पात्र है।
	भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान खुदरा सहभागिता के द्वारा ₹ 6,497 करोड़ की न्यूनतर श्रेणी II पूंजी जुटाई। पहला इश्यू वित्त वर्ष 2011 की तीसरी तिमाही में ₹ 1,000 करोड़ तथा दूसरा इश्यू वित्त वर्ष 2011 की चौथी तिमाही में ₹ 5,497 करोड़ का था।
	देशीय अनुषंगियों के मामले में उच्चतर श्रेणी-2 तथा न्यूनतर श्रेणी-2 बांड (एसबीआईसीआई बैंक लिमिटेड को छोड़कर) के जरिये श्रेणी-II की पूंजी जुटाई गई। ये अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बांड हैं।
	ये बिल्कुल सादे बांड है, कोई पुट ऑप्शन अथवा कॉल आप्शन नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना बांड का मोचन नहीं किया जा सकता।
	कुछ गैर-बैंकिंग अनुषंगियों जैसे एसबीआई कार्ड्स और एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि. द्वारा गौण ऋण जुटाए गए। एसबीआई कार्ड्स के पास ₹ 124.80 करोड़ के दीर्घकालिक, अप्रतिभूत, अपरिवर्तनीय
	डिबेंचर हैं। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान एसबीआई जीएफएल में अप्रतिभूत, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय बांड में ₹ 50 करोड़ का निवेश किया गया।
	विदेश स्थित अनुषंगियों की श्रेणी - II पूंजी में सामान्य प्रावधानों के अतिरिक्त गौण सावधि ऋण शामिल है। नेपाल एसबीआई बैंक लि. के गौण सावधि ऋण में 16.7.2006 को जारी तथा 15.7.2013 को
	परिपक्व हो रहे डिबेंचर शामिल हैं। डिबेंचर धारकों के दावे का अधिकार जमाकर्ताओं की अपेक्षा गौण है।
	एसबीआई कनाडा ने 31 दिसंबर 2010 को 20 मिलियन (कैनेडियन डॉलर) सीएनडी डिबेंचरों के रूप में श्रेणी-II पूंजी जुटाई। ये डिबेंचर 31 दिसंबर 2025 को परिपक्व होंगे।

गुणात्मक प्रकटीकरण :

भारतीय स्टेट बेंक ने देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संमिश्र श्रेणी-I पूँजी तथा उच्चतर एवं न्यूनतर श्रेणी-II गाँण ऋण लिया है। नवोन्भेषी, वैविध्यपूर्ण अथवा संमिश्र पूँजी लिखतों के मामले में सभी पूँजीगत लिखतों की प्रमुख विशेषताओं की शर्तों का सार निम्नानुसार है :

पूँजी का प्रकार	प्रमुख विशेषताएँ				
ईक्किटी	₹ 635 करोड़				
नवोन्मेषी बेमीयादी कर्ज लिखत	जारी करने की तारीख	राशि	अवधि (मास)	कूपन (%वार्षिक वार्षिक आधार पर देय)	रेटिंग
	15.02.07	400 मिलियन अमरीकी डॉलर ₹ 1783.94 करोड़	बेमीयादी 10 वर्ष 3 मास अर्थात 15.05.2017 के बाद क्रय का विकल्प (कॉल ऑप्शन) और 100 आधार अंकों की वृद्धि का विकल्प (स्टेप अफ ऑप्शन)	6.439%	बीए 2-मूडी बी बी-एस एंड पी
	26.06.07	225 मिलियन अमरीकी डॉलर ₹ 1003.47 करोड़	बेमीयादी 10 वर्ष अर्थात 27.06.2017 के बाद क्रय का विकल्प और 100 आधार अंकों की वृद्धि	7.140%	बीए 2-मूडी बी बी - एस एंड पी
	14.08.09	₹ 1000 करोड़*	बेमीयादी 10 वर्ष अर्थात 14.08.2019 के बाद क्रय का विकल्प और 50 आधार अंकों की वृद्धि, यदि क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता	9.10% वार्षिक पहले 10 वर्षों के लिए	एएए - क्रिसिल एएए - केयर
	27.01.10	₹ 1000 करोड़	बेमीयादी 10 वर्ष अर्थात 27.01.2020 के बाद क्रय का विकल्प और 50 आधार अंकों की वृद्धि, यदि क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता	9.05%वार्षिक पहले 10 वर्षों के लिए	एएए - क्रिसिल एएए - केयर
	28.09.07	₹ 165 करोड़**	बेमीयादी 10 वर्ष अर्थात 28.09.2017 के बाद क्रय का विकल्प और 50 आधार अंकों की वृद्धि, यदि क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता	10.25% वार्षिक पहले 10 वर्षों के लिए	एएए - क्रिसिल एएए - केयर

^{*}अगस्त 2009 में जुटाई गई ₹ 1000 करोड़ की राशि में से ₹ 450 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार बैंक द्वारा टियर-I पूंजी के रूप में शामिल किए गए हैं **स्टेट बैंक आफ इंदौर के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के कारण प्राप्त हुई।

भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, भारतीय स्टेट बैंक के निम्नलिखित सहयोगी बैंकों ने ₹ 1745 करोड़ की कुल राशि के नए बेमीयादी कर्ज लिखत जुटाए। इनमें एसबीबीजे का हिस्सा ₹ 200 करोड़, एसबीएच का ₹ 685 करोड़, एस बी एम का ₹ 260 करोड़, एसबीपी का ₹ 300 करोड़ और एसबीटी का ₹ 300 करोड़ था। उपर्युक्त में से एसबीएच ने वित्त वर्ष 2010-11 में बेमीयादी बांडों के द्वारा ₹ 200 करोड़ जुटाए। 20 जनवारी 2011 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा जारी किए जानेवाले नए टियर - I ऑर टियर - II पूंजीगत लिखतों में वृद्धि के विकल्प (स्टेप अफ ऑप्शन) का प्रयोग समाप्त कर दिया है। पर क्रय विकल्प का प्रयोग किया जा सकेगा जिसके लिए लिखत कम से कम 10 वर्ष तक चली होनी चाहिए।

	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2		
उच्च श्रेणी II गौण ऋण	लिखत का प्रकार : अप्रतिभूत, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय, वचन-पत्र जैसे उच्च श्रेणी II गौण बांड। विशेषताएँ :		
1111 46-1	i) निवेशकों द्वारा कोई विक्रय विकल्प नहीं। ii) 10 वर्ष बाद बैंक द्वारा क्रय विकल्प नहीं। iii) 10 वर्ष बाद बैंक द्वारा क्रय विकल्प। iii) स्टेप-अप ऑप्शन : 20 जनवरी 2011 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले नए टियर - I और नए टियर - II पूंजीगत लिखतों में स्टेप-अप ऑप्शन का प्रयोग समाप्त कर दिया है। iv) लॉक-इन-क्लॉज: यदि सीएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक सीएआर के नीचे है तो बैंक का मूल राशि पर या तो अवधि ब्याज या अवधि समाप्ति पर मूल राशि के भुगतान का दायित्व नहीं होगा। तथापि, जहाँ तक बैंक न्यूनतम विनियामक सीएआर बनाए रखता है, निश्चित समय पर बैंक आवधिक ब्याज नहीं लगाएगा।		

TABLE DF-2 CAPITAL STRUCTURE: DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

(a) Summary

Type of Capital	Features
Equity (Tier–I)	Domestic Banking Subsidiaries have raised equity through Equity Instruments. The majority shareholder is SBI while some of them like SBBJ, SBM and SBT have public shareholding as well.
	During the 2 nd quarter of FY: 2010-11, State Bank of Indore has been acquired by State Bank of India. The acquisition is with effect from 26 th August, 2010.
	During the year, ₹ 10.80 crores was raised through a Rights Issue by SBM. Domestic Non-Banking Subsidiaries have raised equity through Equity Instruments. The majority shareholder is SBI and some others are SGAM (SBI FUNDS-37%), GE Capital (SBI CARDS-40%), SIDBI (SBI GFL- 5.89%), Bank of Maharashtra (SBI GFL-4.39%), UBI (SBI GFL-2.95%).
	During 2010-11, ₹95 crores were infused as Equity Capital in SBI Cards in proportion of equity holding by both the stake holders. There is a change in the share holding pattern of SBI DFHI. Shares worth ₹13.64 crores have been transferred from Asian Development Bank to SBI. There was a 25% buy back by DFHI resulting in reduction of total paid up Share Capital from ₹290.91 crores to ₹218.18 crores
	SBI GFL made a rights issue of ₹ 15.625 crores in March 2011. During the FY:2010-11, USD 25 Million has been infused by SBI in SBI California.
Innovative Instruments (Tier-I)	SBI has not raised Capital by way of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDIs) in FY:2010-11. Some of the Banking Subsidiaries have also raised capital through IPDIs. During FY: 2010-11, SBH raised Perpetual Bonds amounting to ₹ 200 crores
	Foreign Subsidiary Banks have not raised Tier I capital by way of IPDIs as of date.
Tier-II	SBI and its Subsidiaries have raised Upper as well as Lower Tier II Capital. The subordinated debts raised through private placement of Bonds are unsecured, long term, non-convertible and are redeemable at par. The debt is subordinated to present and future senior indebtedness of the Bank and qualifies for Tier II capital. SBI has raised Lower Tier II Capital during FY: 2010-11 aggregating ₹ 6497 crores through Retail Participation. The first issue was in Q3 FY:11 for Rs1000 crores and the second issue was in Q4 FY:11 for Rs 5497 crores
	In case of Domestic Subsidiaries, Tier-II capital has been raised by way of Upper Tier-2 as well as Lower Tier-2 bonds (except SBICI Bank Ltd). The instruments are generally unsecured, redeemable, non- convertible bonds. They are plain vanilla bonds with no embedded put option, or call option without RBI's prior approval. Some of the Non-Banking Subsidiaries like SBI CARDS and SBI Global Factors Ltd. have raised subordinated debt. SBI CARDS has
	Long Term Unsecured NCD of ₹ 124.80 crores. During FY: 2010-11, ₹ 50 crores were infused as Unsecured Redeemable Non-Convertible Bonds in SBI GFL. Tier II capital of Foreign Subsidiaries comprises of subordinated term debt apart from General provisions. Subordinated Term Debt
	of Nepal SBI Ltd. consists of Debentures issued on 16.07.2006 and maturing on 15.07.2013. Right of claim of Debenture holders is subordinated to the depositors. SBI Canada raised Tier II Capital as Debentures to the tune of (Canadian Dollar) CND 20 million on 31st December 2010, maturing on
	31st December 2025.

Qualitative Disclosures:
State Bank of India has raised Hybrid Tier I Capital and Upper and Lower Tier II Subordinated Debt in the Domestic and International Market. Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of innovative, complex or hybrid capital instruments are as under:

Type of capital			Main features				
Equity	₹ 635 crores	635 crores					
Innovative Perpetual Debt	Date of Issue	Amount	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating		
Instruments	15.02.07	USD 400 mio ₹ 1783.94 crores	Perpetual with a Call Option after 10 yrs 3 months i.e. on 15.05.17 and step up of 100 bps	6.439%	Ba2 Moody's BB - S & P		
	26.06.07	USD 225 mio ₹ 1003.47crs	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 27.06.17 and step-up of 100 bps	7.140%	Ba2 Moody's BB - S & P		
	14.08.09	₹ 1000 crores*	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 14.08.19 and step-up of 50 bps, if Call Option is not exercised	9.10% p.a. for the first 10 years	AAA- CRISIL AAA-CARE		
	27.01.10	₹ 1000 crores	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 27.01.20 and step-up of 50 bps, if Call Option is not exercised	9.05% p.a. for the first 10 years	AAA-CRISII AAA-CARE		
	28.09.07	₹ 165 crores**	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 28.09.17 and step-up of 50 bps, if Call Option is not exercised	10.25% p.a. for the first 10 years	AAA-CRISIL AAA-CARE		

*Out of ₹ 1,000 crores raised in August 2009, only ₹ 450 crores has been reckoned as Tier I Capital by the Bank (as per RBI instructions).

**Acquired from State Bank of Indore consequent to its merger with State Bank of India.

Apart from SRI the following Associate Banks of SRI have raised Inpovative Perpetual Debt Instruments aggregating ₹ 1,745 crores: SRBI ₹ 200 crores: SRBI

₹685 crores; SBM ₹260 With effect from 20th Ja	Apart from SBI, the following Associate Banks of SBI have raised Innovative Perpetual Debt Instruments aggregating ₹ 1,745 crores: SBB ₹ 200 crores; SBH ₹ 300 crores and SBT ₹ 300 crores. Out of the above, SBH raised ₹ 200 crores by way of perpetual Bonds in FY 2010-11. With effect from 20th January 2011, the RBI has discontinued the Step up Option in case of issue of new Tier I and Tier II Capital Instruments by the Banks. However Call Option may continue to be exercised after the instrument has run for atleast 10 years.					
Upper Tier II Subordinated Debt						
	Special features: i) No Put Option by the Investors. ii) Call Option by the Bank after 10 years. iii) Step-up Option: With effect from 20th January 2011, RBI has discontinued the Step up Option in case of issue of new Tier I and Tier II Capital Instruments by the Banks iv) Lock-in-Clause: Bank shall not be liable to pay either periodic interest on principal or even principal at maturity, if CAR of the Bank is below the minimum regulatory CAR prescribed by RBI. However, this will not preclude the Bank from making periodical interest, as long as the Bank maintains the minimum Regulatory CAR, at the material time.					

जारी करने की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि (मास)	कूपन (% वार्षिक रूप से देय)	रेटिंग
05.06.06	2,328	180	8.80%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
06.07.06	500	180	9.00%	एएए-क्रिसिल
12.09.06	600	180	8.96%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
13.09.06	615	180	8.97%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
15.09.06	1,500	180	8.98%	एएए-क्रिसिल
04.10.06	400	180	8.85%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.10.06	1,000	180	8.88%	एएए-क्रिसिल
17.02.07	1,000	180	9.37%	एएए-क्रिसिल
07.06.07	2,523	180	10.20%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
12.09.07	3,500	180	10.10%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
19.12.08	2,500	180	8.90%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
02.03.09	2,000	180	9.15%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
06.03.09	1,000	180	9.15%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
29.12.06	100*	180	8.95%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
22.03.07	200*	180	10.25%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
24.03.09	250*	180	9.17%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर

 * स्टेट बैंक आफ इंदौर के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के कारण प्राप्त हुई। भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, भारतीय स्टेट बैंक के निम्नलिखित सहयोगी बैंकों ने ₹ 4,791.60 करोड़ की कुल राशि के उच्च टियर-II बांड जुटाए जिनकी गणना टियर-II पूंजीगत निधियों के रूप में की गई है (इस राशि में एसबीबीजे का हिस्सा ₹ 450 करोड़, एसबीएच का ₹ 1,750 करोड़ एसबीएम का ₹ 640 करोड़ एसबीपी का ₹ 1,451.60 करोड़ और एसबीटी का ₹ 500 करोड़ था।)

न्यूनतर श्रेणी II गौण ऋण

मात्रात्मक प्रकटन

लिखत का प्रकार : अप्रतिभृत, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय, वचन पत्र जैसे न्यूनतर श्रेणी \coprod के गौण बांड। विशेषताएँ :

ा निवेशकों द्वारा कोई विक्रय विकल्प नहीं। 11) विवेशकों द्वारा कोई विक्रय विकल्प नहीं। 11) 20 जनवरी 2011 से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा टियर -I और टियर II के जारी किए गए नए पूंजीगत लिखतों के मामले में स्टेप अप ऑप्शन को समाप्त कर दिया है। 11) यदि लिखत कम से कम 5 वर्ष चली है तो क्रय विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है।

जारी करने की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि (माह)	कूपन (%प्रति वर्ष वार्षिक अवधि में देय)	रेटिंग
			वर्ष वार्षिक अवधि में देय)	
05.12.05	3283	113	7.45%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
09.03.06	200	111	8.15%	एलएएए-आइसीआरए, एएए-केयर
28.03.07	1500	111	9.85%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
31.03.07	225	111	9.80%	एलएएए-आइसीआरए, एएए-केयर
29.12.08	1500	114	8.40%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
06.03.09	1000	111	8.95%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
15.02.05	200*	111	7.20%	एएए-क्रिसिल
29.09.05	140*	120	7.45%	एएए-क्रिसिल, एलएएए-आइसीआरए
28.03.06	110*	120	8.70%	एएए-क्रिसिल, एलएएए-आइसीआरए
04.11.10	133.08**	120	9.25%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
04.11.10	866.92**	180	9.50%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	559.40**	120	9.75%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	171.68**	120	9.30%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	3937.59**	180	9.95%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	828.32**	180	9.45%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर

*स्टेट बैंक आफ इंदौर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय होने के कारण प्राप्त हुए।

** एस बी आई द्वारा खुदरा सहभागिता के माध्यम से वित्त वर्ष 2010-11 की तीसरी तिमाही के दौरान जुटाए गए। दिनांक 04.11.10 को जारी बांडों के लिए अवधि-समाप्ति के पिछले पांच वर्षों के दौरान जुटाए गए। दिनांक 04.11.10 को जारी बांडों के लिए अवधि-समाप्ति के पिछले पांच वर्षों के दौरान 50 आधार अंकों के साथ स्टेप अप ऑप्शान उपलब्ध है। यह ऑप्शान तभी उपलब्ध होगा यदि बैंक द्वारा क्रमश: 5 तथा 10 वर्षों के बाद क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता। दिनांक 16.03.11 को जारी बांडों पर स्टेप अप ऑप्शान उपलब्ध नहीं है। एसबीआई से संबंधित उपर्युक्त ₹ 14,655 करोड़ (स्टेट बैंक आफ इंदौर से संबंधित बांडों सहित) के न्यूनतर श्रेणी-II बांडों में से ₹ 13,828.40 करोड़ की 31.03.2011 को एसबीआई द्वारा न्यूनतर श्रेणी-II पूंजी के रूप में गणना की गई है।

एसबीआई होरा न्यूनतर श्रणा-11 पूजा क रूप न गणना का यह हो।
एसबीआई के अलावा, अनुषंगियों ने न्यूनतर श्रेणी-II बांडों के रूप में निम्नानुसार पूंजीगत निधियाँ जुटाई

1) देश में स्थित सहयोगी बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा ₹ 4,085 करोड़ (₹ 3,632 करोड़ की न्यूनतर श्रेणी-II की पूंजीगत निधियां शामिल) की कुल राशि के बांड जुटाए गए: एसबीबीजे

₹ 800 करोड़; एसबीएच ₹ 1,110 करोड़; एसबीएम ₹ 305 करोड़; एसबीएो ₹ 750 करोड़ और एसबीटी ₹ 667 करोड़।

(₹ करोड़ में)

देशी गैर बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा ₹ 304.80 करोड़ (₹ 196.32 करोड़ की न्यूनतर श्रेणी-II पूंजीगत निधियाँ शामिल हैं) की कुल राशि के बांड जुटाए गए।)

3) विदेश स्थित अनुषंगियों में नेपाल एसबीआई बैंक लि. द्वारा ₹ 7.14 करोड़ (₹ 5 करोड़ श्रेणी-ÎI पूंजीगत निधियाँ शामिल हैं) की कुल राशि के बाँड जुटाएं।

ख)	श्रेणी-I पूंजी	84,939
	• चुकता शेयर पुंजी	635
	चुकता शेयर पूंजी आरक्षितियाँ (रिजर्क्स)	80,822
	• नवोन्मेषी लिखतें	6,127
	• अन्य पंजीगत लिखत	0
	• श्रेणी-I पूंजी में से घटाई गई राशि गुडविल और निवेशों सहित श्रेणी-II पूंजी की कुल राशि (श्रेणी-II पूंजी में से कटौतियाँ घटाने के पश्चात) उच्च श्रेणी-II पूंजी में शामिल करने योग्य ऋण पूंजी लिखत:	2,645
(ग)	श्रेणी-II पूंजी की कुल राशि (श्रेणी-II पूंजी में से कटौतियाँ घटाने के पश्चात)	44,862
(ঘ)	उच्च श्रेणी-II पूंजी में शामिल करने योग्ये ऋण पूंजी लिखत:	
	• कुल बकाया राशि	24,808
	• वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाए गए	0
	• पंजीगत निधियों के रूप में शामिल करने योग्य राशि	24,808
(퍟)	न्यूनतर श्रेणी-II में शामिल करने योग्य गौण ऋण	
	• कल बकाया राशि	19,144
	 वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाए गए 	6,639
	 पूंजीगत निधियों के रूप में शामिल करने योग्य 	17,753
(च)	 वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाए गए पूंजीगत निधियों के रूप में शामिल करने योग्य पूंजी में से अन्य कटौतियाँ यदि कोई हों 	0
(ন্ত)	कुल पात्र पूंजी	1,29,801

Date of Issue	Amount (₹ crores)	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating
05.06.06	2,328	180	8.80%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
06.07.06	500	180	9.00%	AAA-CRISIL
12.09.06	600	180	8.96%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
13.09.06	615	180	8.97%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
15.09.06	1,500	180	8.98%	AAA-CRISIL
04.10.06	400	180	8.85%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
16.10.06	1,000	180	8.88%	AAA-CRISIL
17.02.07	1,000	180	9.37%	AAA-CRISIL
07.06.07	2,523	180	10.20%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
12.09.07	3,500	180	10.10%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
19.12.08	2,500	180	8.90%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
02.03.09	2,000	180	9.15%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
06.03.09	1,000	180	9.15%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
29.12.06	100*	180	8.95%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
22.03.07	200*	180	10.25%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
24.03.09	250*	180	9.17%	AAA-CRISIL, AAA-CARE

* Acquired from State Bank of Indore consequent to its merger with State Bank of India.

Apart from SBI, the following Associate Banks of SBI have raised Upper Tier II bonds aggregating to ₹ 4791.60 crores which is reckoned as Tier II Capital Funds: SBBJ ₹ 450 crores; SBH ₹ 1750 crores; SBM ₹ 640 crores; SBP ₹ 1451.60 crores and SBT ₹ 500 crores.

Lower Tier II Sub - Debt

Type of Instrument: Unsecured, Redeemable Non-convertible, Lower Tier II Subordinated Bonds in the nature of Promissory Notes.

Special features:

- No Put Option by the investors.

 With effect from 20th January 2011, RBI has discontinued the Step up Option in case of issue of new Tier I and Tier II Capital Instruments by the Banks. Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.
- III) Call option can be exercised after the instrument has run for atleast 5 years.

Date of Issue	Amount (₹ crores)	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating
05.12.05	3283	113	7.45%	AAA-CRISIL, AAA CARE
09.03.06	200	111	8.15%	LAAA-ICRA, AAA CARE
28.03.07	1,500	111	9.85%	AAA-CRISIL, AAA CARE
31.03.07	225	111	9.80%	LAAA-ICRA, AAA CARE
29.12.08	1,500	114	8.40%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
06.03.09	1,000	111	8.95%	AAA-CRISIL, AAA-CARE
15.02.05	2,00*	111	7.20%	AAA-CRISIL
29.09.05	140*	120	7.45%	AAA-CRISIL, LAAA-ICRA
28.03.06	110*	120	8.70%	AAA-CRISIL, LAAA-ICRA
04.11.10	133.08**	120	9.25%	AAA-CRISIL, AAA CARE
04.11.10	866.92**	180	9.50%	AAA-CRISIL, AAA CARE
16.03.11	559.40**	120	9.75%	AAA-CRISIL, AAA CARE
16.03.11	171.68**	120	9.30%	AAA-CRISIL, AAA CARE
16.03.11	3,937.59 **	180	9.95%	AAA-CRISIL, AAA CARE
16.03.11	828.32**	180	9.45%	AAA-CRISIL, AAA CARE

* Acquired from State Bank of Indore consequent to its merger with State Bank of India.

** Raised by SBI during Q3 FY: 2010-11 through Retail Participation. The bonds issued on 04.11.10 have a step up option of 50 basis points during the last five years of their maturity in case the Bank does not exercise the call option after 5 years and 10 years respectively. The bonds issued on 16.03.11 do not carry Step Up Option on them.

Out of the above ₹ 14,655 crores (including Bonds pertaining to State Bank of Indore) pertaining to SBI in the form of Lower Tier II Bonds, ₹ 13,828.40 crores have been reckoned as Lower Tier II capital by SBI as on 31.03.2011.

Apart from SBI, the following Subsidiaries have raised Capital Funds by way of Lower Tier II:

1) Domestic Associate Banking Subsidiaries have raised bonds aggregating to ₹ 4,085 crores (₹ 3,632 crores is reckoned as Lower Tier II Capital Funds): SBB ₹ 800 crores; SBP ₹ 1,110 crores; SBP ₹ 50 crores and SBT ₹ 667 crores.

2) Domestic Non Banking Subsidiaries have raised bonds aggregating to ₹ 304.80 crores (₹ 196.32 crores is reckoned as Lower Tier II Capital Funds): SBI Global Factors Ltd. ₹ 105.44 crores and SBI Cards ₹ 90.88 crores.

3) Among the Foreign Subsidiaries, Nepal SBI Bank Ltd. has raised bonds aggregating ₹ 7.14 crores (₹ 5 crores are reckoned as Tier II capital funds).

Quantitative Disclosure

Ųι	uantitativ	Disclosures	(< in crores)
	(b) Ti	er-I Capital	84,939
	•	Paid-up Share Capital	635
	•	Reserves	80,822
	•	Innovative Instruments	6,127
	•	Other Capital Instruments	0
	•	Amt deducted from Tier-I Cap including Goodwill and investments	2,645
	(c) T	ne total amount of Tier-2 Capital (Net of deductions from Tier II Capital)	44,862
	(d) D	ebt Capital Instruments eligible for inclusion in Upper Tier-2 Capital	
	•	Total amount outstanding	24,808
	•	Of which raised during Current Year	0
	•	Amount eligible to be reckoned as Capital funds	24,808
	(e)	Subordinated Debt eligible for inclusion in Lower Tier-2 Capital:	
	•	Total amount outstanding	19,144
	•	Of which raised during Current Year	6,639
	•	Amount eligible to be reckoned as Capital funds	17,753
	(f) O	her Deductions from Capital, if any	0
	(g) To	tal Eligible Capital	1,29,801

तालिका डीएफ-3 : पूंजी संरचना :

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन की बैंक की पद्धित का संक्षिप्त विवेचन	 अग्रिम राशियों, अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश की पूर्वानुमानित वृद्धि त में रखते हुए और 3 से 5 वर्ष की अवधि में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआ आवश्यकता के अनुसार अस्थिरता विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण भारत किया जाता है। 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि के दौरान बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) वि रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता पड़ने पर हैं जैसे गौण ऋण नवोन्मेषी बेमायादी कर्ज लिखत जो ईक्विटी के अलावा उपलब्ध के पांच वर्ष तक पूंजी बढ़ाने के लिए विदेश स्थित अनुषंगियों के पास दीर्घावधि योज मानदंडो की पूर्ति करने के लिए आवश्यक अस्तियों और पूंजी में वृद्धि करने के बि बढ़ाने की योजना का अनुमोदन मूल बैंक द्वारा प्रत्येक अनुषंगी की श्रेणी- श्रिणी- जाता है। यह पूंजी आस्तियों का स्तर बढ़ाने और पूंजी पर्याप्त अनुपात (सीएआर) वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान एसबीआई ने ₹ 6,497 करोड़ की कुल राशि खु बैंक ने आईसीएएपी नीति लागू की है जिसकी समीक्षा वार्षिक आधार पर की जार्त पूंजी जोखिम को पर्याप्त रुप से कम किया जा सकेगा। 	() के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वार्षि नियामक द्वारा निर्धारित 9% की पूंजी पर्याप्तता अपने पूंजीगत संसाधन बढ़ाने के लिए बैंक के प ध हैं। ना है। इसमें विभिन्न स्थानीय विनियामक अपेक्षा लेए पूंजी की आवश्यकता का आकलन करना ध I पूंजी जुटाने की क्षमता के बारे संतुष्टि कर लने । बनाए रखने में सहायता करने के लिए आवश्य इरा सहभागिता के माध्यम से न्यूनतर श्रेणीII	र्वेक रूप में अथव लिए अलग अलग अनुपात से अधिव गास पर्याप्त विकल् ओं और विवेकपूण गी शामिल हैं। पूंर्ज के पश्चात ही किय क होती हैं। बांड जुटाए।
मात्रात्मक प्रकटीकरण (ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता ● मानकीकृत पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो ● निवेश प्रतिभूतिकरण			
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता (* मानकीकृत अवधि पद्धति) • ब्याज दर जोखिम • विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण, सहित) • ईक्विटी जोखिम	 ₹ 2,833.47 करोड़ ★ ₹ 110.55 करोड़ ★ ₹ 2,241.49 करोड़ योग ₹ 5,185.51 करोड़ 		
• मूल संकेतक पद्धति	➡ ₹ 6,451.90 करोड़		
> > >	योग ₹ 6,451.90 करोड़ दिनांक 31.03.2011 को पूंज	ो पर्यातना अनागन	
(ड) योग और श्रेणी-I पूंजी का अनुपात: ● शीर्ष समेकित समूह के	19114 21102:2011 411 2	श्रेणी I (%)	योग (%)
 शाष समाकत समूह क लिए, तथा बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगयों के लिए (स्टैंड एलोन) 	भारतीय स्टेट बेंक एसबीआइ समृह स्टेट बेंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर स्टेट बेंक आफ हैदराबाद स्टेट बेंक आफ मैसूर स्टेट बेंक आफ पटियाला स्टेट बेंक आफ ट्रावनकोर एसबीआइ सीआइ बेंक लि. एसबीआइ इंटरनेशनल (मारीशस) लि. स्टेट बेंक आफ इंडिया (कनाडा) स्टेट बेंक आफ इंडिया (कैलिफोर्निया) कमिशेंयल बेंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को पीटी बेंक इंडो मॉनेक्स, इंडोनेशिया नेपाल एसबीआई बेंक लि.	7.77 8.02 7.92 9.12 9.78 8.65 9.00 27.44 10.61 30.27 16.81 39.21 14.34 10.47	11.98 12.26 11.68 14.25 13.76 13.41 12.54 28.16 11.03 37.94 18.06 40.06 15.21

TABLE DF-3 : CAPITAL STRUCTURE :

Qualitative Disclosures

	ave Bisciosares			
th as its	summary discussion of the Bank's approach to the sessing the adequacy of the scapital to support the s	 Sensitivity Analysis is conducted annually or more free of Capital Adequacy Ratio (CAR) in the medium hor projected growth in Advances, investment in Subsidiof Basel II Framework etc. by State Bank of India and its analysis is done for the SBI and SBI Group separa CRAR of the Bank and for the Group as a whole is esting CAR of 9% in the medium horizon of 3 to 5 years. He bank has ample options to augment its capital reand Innovative Perpetual Debt Instruments, besides The Subsidiaries (Foreign) Strategic Plan, for groun incorporates an assessment of capital requirement for required to comply with various local regulatory required to comply with various local regulatory required to comply with various local regulatory required to the individual subsidiaries to raise Tier I/Tier II Capital assets and at the same time maintaining the Capital During FY: 2010-11, SBI raised Lower Tier II bonds the 6497 crores. The Bank and its Banking Subsidiaries have put in pis being reviewed on a yearly basis which would enthereby reducing substantial Capital Risk. 	izon of 3 to 5 years, co iaries/Joint Ventures and s Subsidiaries (Domestical tely. mated to be well above to owever, to maintain addesources by raising Subo Equity as and when routh extends upto fivor prowth of Assets and irrements and prudential atisfying itself about the ital to support the increal Adequacy Ratio (CAI rough Retail Participational control of the control of th	nsidering the d the impact (Foreign). This he Regulatory equate capital, rdinated Debt equired. The capacity of eased level of R). On aggregating and the same
Quanti	itative Disclosures	moroby routioning substantial Capital Nisk.		
(b) Ca	apital requirements r Credit Risk • Portfolios subject to Standardized Approach • Securitization Exposures	₹ 83,877.64 crores Nil Total ₹ 83,877.64 crores		
fo: (*	apital requirements r Market Risk Standardized duration oproach) • Interest Rate Risk • Foreign Exchange Risk (including gold) • Equity Risk			
(d) Ca	apital requirements			
fo	r Operational Risk:	Ŧ C 451 00 mmm		
	Basic Indicator Approach	→ ₹ 6,451.90 crores		
		Total ₹ 6,451.90 crores		
	otal and Tier I	CAPITAL ADEQUACY RATIO AS	ON 31.03.2011	
Ca	pital ratio: • For the top		Tier I (%)	Total (%)
	consolidated	State Bank of India	7.77	11.98
	group; and	SBI Group	8.02	12.26
	• For significant	State Bank of Bikaner & Jaipur	7.92	11.68
	bank subsidiaries	State Bank of Hyderabad	9.12	14.25
	(stand alone)	State Bank of Mysore	9.78	13.76
		State Bank of Patiala State Bank of Travancore	8.65	13.41
		SBICI Bank Ltd.	9.00	12.54
		SBI International (Mauritius) Ltd.	27.44 10.61	28.16 11.03
		State Bank of India (Canada)	30.27	37.94
		State Bank of India (California)	16.81	18.06
			39.21	40.06
		Commercial Bank of India LLC Moscow PT Bank SBI Indonesia		
		PT Bank SBI Indonesia Nepal SBI Bank Ltd.	14.34 10.47	15.21 11.58

तालिका डीएफ - 4 ऋण जोखिमः सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

• पिछले बकायों और अनर्जक आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)

समूह की देशीय बैंकिंग इकाइयां लेखा प्रयोजनों हेतु इन श्रेणियों को परिभाषित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान अनुदेशों का पालन करती हैं, जो निम्नानुसार है:

अलाभकारी आस्तियाँ

कोई भी आस्ति ऐसी स्थिति में अलाभकारी आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है। ऐसे अग्रिमों को अलाभकारी आस्ति (एनपीए) माना जाता है जहाँ :

- (i) किसी भी मीयादी ऋण के ब्याज और अथवा मुलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अविध के लिए 'अतिदेय' रहती है:
- (ii) किसी ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 90 दिन से अधिक अविध के लिए 'अनियमित' रहता है:
- (iii) खरीदे गए बिल और भुनाए गए बिल के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है:
- (iv) अन्य खातों के संबंध में प्राप्त की जाने वाली कोई राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है:
- (V) अल्प अविध फसलों के लिए संस्वीकृत कोई ऋण एनपीए माना जाता है, यदि मूलधन की किस्त अथवा उस पर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है तथा दीर्घाविध फसलों के लिए तब एनपीए माना जाता है यदि मूलधन की किस्त अथवा उस पर ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है: और
- (vi) कोई खाता तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिनों के अंदर अदा नहीं कर दिया जाता। 'अनिवर्गान' श्रेणी

कोई खाता ऐसी स्थिति में 'अनियमित' माना जाना चाहिए जब बकाया शेष निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक रहता है।

ऐसे मामलों में जहाँ मूल परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम है किंतु बैंक के तुलन पत्र की तिथि को निरंतर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की गई है अथवा उस अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा नहीं है तो ऐसे खातों को 'अनियमित' माना जाएगा।

'अतिहेय'

किसी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय कोई राशि 'अतिदेय' मानी जाती है यदि यह बैंक द्वारा निर्धारित की गई तिथि को अदा नहीं की गई है। अन्य समृह इकाइयां - विदेशी बैंकिंग इकाइयां और गैर बैंकिंग इकाइयां उनके व्यवसाय क्षेत्रों को लागू और उनके संबंधित नियंत्रकों द्वारा नियत परिभाषाओं का उपयोग करती हैं

बैंक की ऋण जोखिम-प्रबंधन नीति की चर्चा

समूह इकाइयों द्वारा मुख्य रूप से अपने ऋणान्वयन और निवेश कार्यकलाप के माध्यम से ऋण जोखिम को प्रकट किया गया है। समूह की सभी बैंकिंग इकाइयों द्वारा अपने ऋण एवं निवेश कार्यकलाप के माध्यम से ऋण जोखिम को प्रकट किया गया है। गैर-बैंकिंग इकाइयों में, फैक्टिरिंग और क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में, ऋण जोखिम एक प्रमुख जोखिम है। समूह बैंकिंग इकाइयों ने ऋण जोखिम प्रबंधन के बारे में और एक ऐसी व्यापक जोखिम प्रबंधन रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है जो ऋण जोखिमों का समय से पता लगाकर उनका समय से और सक्षम ढंग से प्रबंध एवं निगरानी कर सके। पिछले वर्षों में, इस संबंध में नीति एवं कार्यनीतियों को सम्बद्ध परिणामी अवधारणाओं और वास्तविक अनुभव के आधार पर परिष्कृत किया गया है। नीति एवं कार्यविधियाँ बासेल-II और भारतीय रिजर्व बैंक दिशा-निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार की गई हैं।

ऋण जोखिम-प्रबंधन प्रक्रियाओं मे ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, जोखिम की निगरानी तथा उसका नियंत्रण शामिल है। ऋण जोखिम की पहचान और निर्धारण में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :

- (i) 'ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल/स्कोरिंग मॉडलों का जहां कहीं लागू हो, प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने और ऋण जोखिम प्रबंधन रूपरेखा के विश्लेषण घटकों विशेष रूप से ऋण अनुमोदन प्रक्रिया के मात्रात्मक जोखिम निर्धारण भाग की सहायता करने के लिए, काम में लिया जाता है। श्रेणी निर्धारण प्रक्रिया सुविधा/ऋणी से संबद्ध जोखिम को प्रतिबिम्बित करती है और यह ऋणी की आंतरिक क्षमता का मूल्यांकन है तथा इसकी आवधिक रूप से समीक्षा की गई है।
- (ii) भारतीय स्टेट बैंक समय-समय पर उद्योंगों/क्षेत्रों की सामान्य निगरानी के संबंध में विशेष नीतिगत आदेश और परामर्श जारी करके बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों के संविभाग का प्रबंध करने के लिए मात्रात्मक जोखिम मापदण्डों का निर्धारण करने हेतु उद्योग अनुसंधान भी करता है और परिणामों का समूह की बैंकिंग इकाइयों के बीच आदान-प्रदान करता है।
- (iii) ऋण जोखिम का निर्धारण एवं मूल्यांकन करने के लिए गैर-बैंकिंग इकाइयां क्रेडिट स्कॉरिंग मॉडल्स, आंतरिक श्रेणी-निर्धारण, जनसांख्यिकी विश्लेषणों आदि, का यथा प्रयोज्य उपयोग करती हैं।

देशीय बैंकिंग इकाइयों में ऋण जोखिम के मापन में ऋण जोखिम घटकों जैसे ऋण चुकौती में चूक की संभावना, ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि और ऋण चुकौती में चूक करने से जुड़ी जोखिम की गणना करना शामिल होता है।

समूह इकाइयों में बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के संकेंद्रीकरण से बचने के लिए, व्यक्तिगत ऋणियों, ऋणी समूहों बैंकों, गैर कारपोरेट इकाइयों, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पूंजी बाजार भू-सम्पदा आदि के संबंध में विवेकीय जोखिम मानदण्डों से संबंधित विनियामक आंतरिक दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। समूह इकाइयों की पृथक-पृथक रूप से और समूह की समेकित रूप से ऋण जोखिम मापन के लिए जोखिमों की निरंतर निगरानी की गई है, जिस प्रकार समूह जोखिम प्रबंधन नीति में निर्दिष्ट किया गया है। इकाइयों द्वारा ऋण जोखिम दबाव परीक्षण किए जाते हैं जिससे जहाँ आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

समूह की प्रत्येक बैंकिंग इकाई में एक ऐसी ऋण नीति लागू है जिसमें ऋण एवं अग्रिमों की संस्वीकृति, प्रबंध और निगरानी करने के संबंध में इकाइयों का दृष्टिकोणों के बारे में बताया गया है। इस नीति से ऋण संबंधी बुनियादी बातें, मूल्यांकन निपुणताओं, प्रतेखन मानकीकरण और संस्थात्मक अपेक्षाओं की जागरूकता, तथा कार्यनीतियों से संबंधित दृष्टिकोणों से समानता आती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संविभाग स्तर पर आस्तियों की सम्पूर्ण गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है। आस्तियों का मूल्यांकन, संस्वीकृत, प्रतेखीकरण, निरीक्षण एवं निगरानी, नवीकरण, रखरखाव, पुनर्वास आरै प्रबंधन करने के लिए उचित प्राधिकार के अंतर्गत नवीन्मेष, विचलन और नरमी की पर्याप्त गुंजाइश के साथ विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

ऋण जोखिम का प्रबंध करने के लिए समूह में आंतरिक नियंत्रण एवं प्रक्रियाएं लागू हैं, जो निम्नानुसार हैं,

- (i) ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम अभिशासन संरचना ।
- (ii) एक श्रेणीबद्ध प्राधिकार संरचना के साथ अग्रिमों एवं संबद्ध मामलों के लिए वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।
- (iii) ऋण लेखापरीक्षा के भाग के रूप में संस्वीकृति से पूर्व और संस्वीकृति के पश्चात की प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई। प्रारंभिक सीमाओं से अधिक की जोखिमों के लिए देशीय इकाइयों में ये लेखा-परीक्षा आयोजित की गई है।
- (iv) ऋणों की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए तनावग्रस्त आस्तियों की निकट समीक्षा एवं निगरानी करना।
- (V) सभी परिचालन अधिकारियों और लेखा-परीक्षा अधिकारियों को नीतियां, कार्यविधियां और जोखिम सीमाओं की जानकारी परिचालित की जिससे निरंतर आधार पर उनकी जानकारी को अद्यतन रखा जा जा सके।
- (vi) सभी अधिकारियों के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रथाओं से संबंधित जानकारी को अद्यतन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयास भी शुरू किए गए हैं।

TABLE DF-4: CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

Definitions of past due and impaired assets (for accounting purposes)

The Domestic Banking entities in the Group follow the extant RBI instructions for definitions of these categories for accounting purposes, as given below:

Non-performing assets

An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the Bank. A Non-Performing Asset (NPA) is an advance where:

- Interest and/or installment of principal remain 'overdue' for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan;
- The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC);
- (iii) The bill remains 'overdue' for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted;
- (iv) Any amount to be received remains 'overdue' for a period of more than 90 days in respect of other accounts;
- A loan granted for short duration crops is treated as NPA, if the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons and a loan granted for long duration crops is treated as NPA, if installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season; and
- An account would be classified as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

'Out of Order' status

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Bank's Balance Sheet, or where credits are not enough to cover the interest debited during the same period, such accounts are treated as 'out of order'.

'Overdue'

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the Bank. [Other Group entities - Overseas Banking entities and the Non-banking entities - use the definitions as applicable to their lines of businesses and as defined by their respective regulators.]

Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy

Group entities are exposed to Credit Risk mainly through their lending and investment activities. All Banking entities in the Group are exposed to Credit Risk through their loans and investment activities. Among the Non-banking entities, Credit Risk is a major risk in the factoring and credit cards business. Group Banking entities have Credit Risk Management, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy/Policies in place which are an exposition of their approach to the management of Credit Risk and seek to establish a comprehensive risk management framework that allows Credit Risks to be tracked, managed and overseen in a timely and efficient manner. Over the years, the policy and procedures in this regard have been refined as a result of evolving concepts and actual experience. The policy and procedures have been aligned to the approach laid down in Basel II and RBI guidelines, wherever applicable.

Credit Risk Management processes encompass identification, assessment, monitoring and control of the credit exposures. In the process of identification and assessment of Credit Risk, the following functions are undertaken:

- Credit Risk Assessment Models/ Scoring Models are used across the entities, wherever applicable, to assess the counterparty risk and to support the analytical elements of the credit risk management framework, particularly the quantitative risk assessment part of the credit approval process. The rating process reflects the risk involved in the facility / borrower and is an evaluation of the borrower's intrinsic strength and is reviewed periodically.
- SBI also conducts industry research to give specific policy prescriptions and setting quantitative exposure parameters for handling portfolio in large / important industries, by issuing advisories on the general outlook for the Industries/Sectors, from time to time and shares the findings amongst the Banking entities in the Group.
- Non-Banking entities use Credit Scoring Models, Internal Ratings, Demographic Analysis, etc., as applicable, for identification and assessment of Credit Risk

The measurement of Credit Risk in the Domestic Banking entities involves computation of Credit Risk Components viz. Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) and Exposure at Default (EAD).

For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risk, regulatory / internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual borrowers, borrower groups, banks, non-corporate entities, sensitive sectors such as capital market, real estate, etc., are in place in the Group entities. Ongoing monitoring of exposures is conducted for measurement of Credit Risk of the Group entities individually and for consolidated Group, as specified in the Group Risk Management Policy. Credit Risk Stress Tests are conducted by the entities to identify vulnerable areas for initiating corrective action, where necessary.

Each of the Group Banking entities have a Loan Policy in place which documents the entities' approach to sanctioning, managing and monitoring of loans and advances. The Policy establishes a commonality of approach regarding credit basics, appraisal skills, documentation standards and awareness of institutional concerns and strategies to ensure that there is continued improvement of the overall quality of assets at the portfolio level. Specific norms for Appraising, Sanctioning, Documentation, Inspections and Monitoring, Renewals, Maintenance, Rehabilitation and Management of Assets have been stipulated, with sufficient leg room for innovation, deviations and flexibility under proper authority.

The internal controls and processes in place in the Group for the management of Credit Risk are:

- Risk Governance structures for Credit Risk Management.
- (ii) Delegation of financial powers for advances and allied matters with a graded authority structure.
- (iii) Pre-sanction and post-sanction processes are examined as part of Credit Audit conducted in Domestic Banking entities for exposures above threshold limits. Credit Audit also examines identified risks and suggests risk mitigation measures.
- Close review and monitoring of Stressed Assets to prevent deterioration in quality.
- The Policies, Procedures and Risk Limits are circulated amongst all operating functionaries and the audit functionaries to keep them updated on an ongoing basis.
- Various training initiatives are also undertaken for updation of knowledge on Credit Risk Management policies and practices for all functionaries.

तालिका डीएफ-4 ऋण जोखिम - मात्रात्मक प्रकटीकरण 31.03.2011 के आंकड़े

		~ - \ - \ z	
		शि करोड़ ₹ में	
मात्रात्मक प्रकटीकरण: 	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	योग
(क) कुल सकल ऋण जोखिम राशि	1085000.49	392743.81	1477744.30
(ख) ऋण जोखिम राशि का भौगोलिक			
वितरण: निधि आधारित/गैर निधि आधारित			
विदेशी	113676.75	28048.17	141724.92
देशी	971323.74	364695.64	1336019.38
(ग) ऋण जोखिम राशि का उद्योग के			
प्रकार अनुसार वितरण निधि आधारित/गैर निधि आधारित अलग अलग	कृपः	या तालिका 'क'	देखे
(घ) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक		6 1 1	```
परिपक्वता विश्लेषण	कृप	या तालिका 'ख'	दख
(ङ) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) योग (i से V)		31824.10	
і) अवमानक		14239.21	
ii) संदिग्ध 1			
iii) संदिग्ध 2		7095.30	
iv) संदिग्ध 3		5772.47	
		1300.76	
V) हानिप्रद (च) निवल अनर्जक आस्तियां		3416.36	
()		15733.98	
(छ) अनर्जक आस्ति अनुपात i) सकल अग्रिमों में सकल			
्र अनर्जक आस्तियां		3.09%	
ii) निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां	1.56%		
(ज) अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़ (सकल)			
i) अथशेष		24404.85	
ii) परिवर्धन		23384.92	
iii) कटौतियाँ		15965.67	
iv) इतिशेष		31824.10	
(झ) अनर्जक आस्तियों के लिए			
प्रावधानों का उतार-चढ़ाव			
i) अथशोष		10890.01	
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान		13898.52	
iii) बट्टा खाता डालना		5705.09	
iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन		3040.32	
V) इतिशेष		16043.12	
(ञ) अनर्जक निवेशों की राशि		620.47	
(ट) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि		616.83	
(ठ) निवेशों पर हास के संबंध में			
प्रावधानों का उतार-चढ़ाव			
i) अथशोष		2263.80	
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान		862.71	
iii) बट्टा खाता डालना		31.52	
iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन		138.99	
V) इतिशेष		2956.00	

तालिका - क 31.03.2011 को उद्योग के प्रकार के अनुसार ऋण जोखिम का वितरण (राशि करोड़ ₹ में)

कोड	उद्योग	निधि	(साश कर		
		मानक	अनर्जक आस्ति	कुल	[बकाया]
1	कोयला	1936.08	159.44	2095.52	689.43
2	खनन	5820.06	97.05	5917.11	2398.73
3	लोह एवं इस्पात	51226.97	1954.21	53181.18	22609.63
4	धातु उत्पाद	16221.10	315.30	16536.40	6446.98
5	सभी अभियांत्रिकी	28399.11	859.19	29258.30	31459.21
5.1	इसमें इलेक्ट्रॉनिक संबंधी	7329.17	102.88	7432.05	4253.84
6	बिजली	15432.02	16.25	15448.27	17272.95
7	कपड़ा उद्योग	27720.92	736.27	28457.19	2788.33
8	जूट वस्त्र	373.67	25.15	398.82	53.18
9	अन्य वस्त्र	26617.62	1432.68	28050.30	4509.77
10	शक्कर	7795.14	47.89	7843.03	692.82
11	चाय	1665.87	104.88	1770.75	41.14
12	खाद्य प्रसंस्करण	19847.09	807.82	20654.91	730.18
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	5971.67	310.51	6282.18	2934.44
14	तम्बाकू / तम्बाकू उत्पाद	3641.85	404.44	4046.29	37.01
15	कागज /कागज उत्पाद	3700.83	114.80	3815.63	1187.34
16	रबड़/ रबड़ उत्पाद	3972.80	226.46	4199.26	1113.72
17	रसायन/ रंगाई/ रंग आदि	33955.08	1271.40	35226.48	26243.25
17.1	इसमें उर्वरक	2716.29	75.20	2791.49	1955.67
17.2	इसमें पेट्रोरसायन	7238.62	215.74	7454.36	2427.33
17.3	इसमें दवाइयां एवं औषधियाँ	12028.56	279.88	12308.44	9607.40
18	सीमेंट	8495.58	72.00	8567.58	1407.50
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	2142.38	40.72	2183.10	354.81
20	रत्न एवं आभूषण	12188.62	963.27	13151.89	906.45
21	निर्माण	13379.31	797.70	14177.01	3450.69
22	पेट्रोलियम	22761.20	16.82	22778.02	30435.52
23	आटोमोबाइल एवं ट्रक	8606.73	196.65	8803.38	969.49
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1974.84	926.42	2901.26	50.70
25	इन्फ्रास्ट्रक्चर	96959.79	803.35	97763.14	37325.60
25.1	इसमें बिजली	29353.46	124.00	29477.46	7561.40
25.2	इसमें दूर संचार	23068.33	147.27	23215.60	1381.85
25.3	इसमें सड़क और बंदरगाह	27027.97	358.11	27386.08	7502.50
26	अन्य उद्योग	115476.06	3302.26	118778.32	30500.02
27	एनबीएफसी और ट्रेडिंग	67662.49	3956.34	71618.83	8869.60
28	शेष सकल अग्रिमों में अवशिष्ट अग्रिम	449231.53	11864.82	461096.35	157265.29
	कुल	1053176.39	31824.10	1085000.49	392743.81

Table DF-4 : Credit Risk - Quantitative Disclosures Data as on 31.03.2011

	Data as of	n 31.03.2011					
Gene	eral Disclosures:	Amount in ₹ crores					
Quai	ntitative Disclosures	Fund Based	Non Fund Based	Total			
(a)	Total Gross Credit Risk Exposures	1085000.49	392743.81	1477744.30			
(b)	Geographic Distribution of Exposures : FB / NFB						
	Overseas	113676.75	28048.17	141724.92			
	Domestic	971323.74	364695.64	1336019.38			
(c)	Industry type Distribution of Exposures Fund based / Non Fund Based separately	Plea	se refer to Ta	able "A"			
(d)	Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets	Plea	se refer to Ta	able "B"			
(e)	Amount of NPAs (Gross) i.e. SUM f (i to v)		31824.10				
	i) Substandard		14239.21				
	ii) Doubtful 1		7095.30				
	iii) Doubtful 2		5772.47				
	iv) Doubtful 3		1300.76				
	v) Loss		3416.36				
(f)	Net NPAs		15733.98				
(g)	NPA Ratios						
	i) Gross NPAs to		2.000/				
	gross advances ii) Net NPAs to		3.09%				
	ii) Net NPAs to net advances		1.56%				
(h)	Movement of NPAs (Gross)		1.00 /0				
()	i) Opening balance		24404.85				
	ii) Additions	23384.92					
	iii) Reductions		15965.67				
	iv) Closing balance		31824.10				
(i)	Movement of Provisions for NPAs						
	i) Opening balance		10890.01				
	ii) Provisions made during						
	the period	13898.52					
	iii) Write-off		5705.09				
	iv) Write-back of excess provisions		3040.32				
(1)	v) Closing balance		16043.12				
(j)	Amount of Non-Performing Investments		620.47				
(k)	Amount of Provisions held for Non-Performing Investments		616.83				
(l)	Movement of Provisions for Depreciation on Investments						
	i) Opening balance		2263.80				
	ii) Provisions made						
	during the period		862.71				
	iii) Write-off		31.52				
	iv) Write-back of excess provisions		138.99				
	v) Closing balance		2956.00				

 ${\bf Table - A}$ Industry Type Distribution of Exposures as on ${\bf 31.03.2011}$

00==	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T				₹ crores
CODE	INDUSTRY		UND BAS		NON-FUND BASED(O/s)
		Standard	NPA	Total	(***)
1	Coal	1936.08	159.44	2095.52	689.43
2	Mining	5820.06	97.05	5917.11	2398.73
3	Iron & Steel	51226.97	1954.21	53181.18	22609.63
4	Metal Products	16221.10	315.30	16536.40	6446.98
5	All Engineering	28399.11	859.19	29258.30	31459.21
5.1	Of which Electronics	7329.17	102.88	7432.05	4253.84
6	Electricity	15432.02	16.25	15448.27	17272.95
7	Cotton Textiles	27720.92	736.27	28457.19	2788.33
8	Jute Textiles	373.67	25.15	398.82	53.18
9	Other Textiles	26617.62	1432.68	28050.30	4509.77
10	Sugar	7795.14	47.89	7843.03	692.82
11	Tea	1665.87	104.88	1770.75	41.14
12	Food Processing	19847.09	807.82	20654.91	730.18
13	Vegetable Oils & Vanaspati	5971.67	310.51	6282.18	2934.44
14	Tobacco / Tobacco Products	3641.85	404.44	4046.29	37.01
15	Paper / Paper Products	3700.83	114.80	3815.63	1187.34
16	Rubber / Rubber Products	3972.80	226.46	4199.26	1113.72
17	Chemicals / Dyes / Paints etc.	33955.08	1271.40	35226.48	26243.25
17.1	Of which Fertilizers	2716.29	75.20	2791.49	1955.67
17.2	Of which Petrochemicals	7238.62	215.74	7454.36	2427.33
17.3	Of which Drugs & Pharmaceuticals	12028.56	279.88	12308.44	9607.40
18	Cement	8495.58	72.00	8567.58	1407.50
19	Leather & Leather Products	2142.38	40.72	2183.10	354.81
20	Gems & Jewellery	12188.62	963.27	13151.89	906.45
21	Construction	13379.31	797.70	14177.01	3450.69
22	Petroleum	22761.20	16.82	22778.02	30435.52
23	Automobiles & Trucks	8606.73	196.65	8803.38	969.49
24	Computer Software	1974.84	926.42	2901.26	50.70
25	Infrastructure	96959.79	803.35	97763.14	37325.60
25.1	Of which Power	29353.46	124.00	29477.46	7561.40
25.2	Of which Telecommunication	23068.33	147.27	23215.60	1381.85
25.3	Of which Roads & Ports	27027.97	358.11	27386.08	7502.50
26	Other Industries	115476.06	3302.26	118778.32	30500.02
27	NBFCs & Trading	67662.49	3956.34	71618.83	8869.60
28	Res. Adv to bal. Gross Advances	449231.53	11864.82	461096.35	157265.29
	Total	1053176.39	31824.10	1085000.49	392743.81

तालिका-ख डीएफ-4 (ङ) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) आस्तियों का दिनांक 31.03.2011 को अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विवरण

(₹ करोड में)

	1-14	15-28	29 दिन	3 माह से	6 माह से	1 वर्ष से	3 वर्ष से	5 वर्ष से	कुल
	दिन	दिन	से	अधिक किंतु	अधिक किंतु	अधिक किंतु	अधिक किंतु 5	अधिक	,
			3 माह तक	6 माह तक	1 वर्ष तक	3 वर्ष तक	वर्ष तक		
1 नकदी	9139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9139.47
2 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष	39347.86	1365.94	3245.21	4974.88	9590.52	22537.66	13183.05	16559.27	110804.39
3 अन्य बैंकों के पास जमाशेष	30552.93	1615.18	1110.52	656.66	709.06	832.66	99.53	47.04	35623.57
4 निवेश	5497.95	2814.12	13025.72	15435.14	10923.83	68818.30	69263.72	205091.12	390869.90
5 अग्रिम	79536.61	11114.16	65696.80	43298.14	45931.04	471714.07	95683.43	197526.00	1010500.26
6 अचल आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	5.26	6737.19	6742.97
7 अन्य आस्तियां	29230.93	1909.09	4583.35	6139.06	7085.61	2418.59	283.62	6651.50	58301.75
कुल	193305.75	18818.49	87661.60	70504.40	74240.07	566321.28	178518.61	432612.11	1621982.30

तालिका डीएफ-5 : ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों हेतु प्रकटन

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

• प्रयुक्त रेटिंग एजेसिंयों के नाम, साथ में परिवर्तनों के कारण भी

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशी और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए क्रमश: केयर, क्रिसिल, आइसीआरए एवं फिच इंडिया (देशी ऋण रेटिंग एजेंसियों) एवं फिच, मूडीज एवं एस एंड पी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में चयन किया है जिनकी रेटिंगों का जोखिमभारित आस्तियों तथा पूंजी ऋण भार के परिकलन के लिए प्रयोग किया गया। विदेशी बैंकिंग इकाइयां अपने-अपने विनियामकों के अनुमोदन के अनुसार रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग का प्रयोग करती हैं।

• ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लायी गयी

- (i) एक वर्ष से कम अथवा समान संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई शार्ट टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।
- (ii) देशी कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि का विचार किए बिना) के लिए एवं । वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु, लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गईं।

पब्लिक इश्यू रेटिंगों को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण

निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी- ग्राहक / प्रतिपक्ष के अन्य अनरेटिड एकस्पोजरों के लिए लांग टर्म इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग (बैंक के स्वय के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी-ग्राहक / प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गई:

- इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एक्सपोजरों के समतुल्य या अधिक हैं तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे कम हो तो वही जोखिम भार लागू किया गया।
- उन मामलों में जहां ऋणी- ग्राहक/ प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कितपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एकस्पोजर की परिपक्वता रेटिड डैट की परिपक्वता के बाद की नहीं थी तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के अनरेटिड एकस्पोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

31-3-2011 को गुणात्मक प्रकटीकरण	(राशि करोड़ ₹ में)
(ख) मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत जोखिम न्यूनीकरण	100% जोखिम भार से नीचे : ₹ 871283.98
के पश्चात ऋण जोखिम की राशियों के लिए प्रत्येक	100% जोखिम भार : ₹ 434615.66
जोखिम समूह और कटौती की गई जोखिम राशि में बैंक	100% सें अधिक जोखिम भार : ₹ 153236.10
की बकाया राशियाँ (रेटिंग सहित और रेटिंग रहित)	कटौती की : ₹ 18608.56
	योग : ₹ 1477744.30

Table-BDF-4 (e) SBI (CONSOLIDATED) Residual contractual maturity breakdown of assets as on 31.03.2011

in crore

(Vill Gol							(III CIOLES)		
	1-14	15-28	29 days	Over 3	Over 6	Over	Over 3	Over 5	Total
	days	days	& up to	months &	months &	1 year	years &	years	
			3 months	upto 6	upto 1 year	& upto	upto		
				months		3 years	5 years		
1 Cash	9139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9139.47
2 Balances with RBI	39347.86	1365.94	3245.21	4974.88	9590.52	22537.66	13183.05	16559.27	110804.39
3 Balances with other Banks	30552.93	1615.18	1110.52	656.66	709.06	832.66	99.53	47.04	35623.57
4 Investments	5497.95	2814.12	13025.72	15435.14	10923.83	68818.30	69263.72	205091.12	390869.90
5 Advances	79536.61	11114.16	65696.80	43298.14	45931.04	471714.07	95683.43	197526.00	1010500.26
6 Fixed Assets	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	5.26	6737.19	6742.97
7 Other Assets	29230.93	1909.09	4583.35	6139.06	7085.61	2418.59	283.62	6651.50	58301.75
TOTAL	193305.75	18818.49	87661.60	70504.40	74240.07	566321.28	178518.61	432612.11	1621982.30

TABLE DF-5 : CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO STANDARDISED APPROACH

(a) Qualitative Disclosures

• Names of Credit Rating Agencies used, plus reasons for any changes

As per RBI Guidelines, the Bank has identified CARE, CRISIL, ICRA and FITCH India (Domestic Credit Rating Agencies) and FITCH, Moody's and S&P (International Rating Agencies) as approved Rating Agencies, for the purpose of rating Domestic and Overseas Exposures, respectively, whose ratings are used for the purpose of computing Risk-weighted Assets and Capital Charge. Overseas Banking entities use the ratings of accredited rating agencies as approved by their respective regulators.

· Types of exposures for which each Agency is used

- (i) For Exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits), Short-term Ratings given by approved Rating Agencies are used.
- (ii) For Domestic Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits (irrespective of the period) and for Term Loan exposures of over 1 year, Long Term Ratings are used.

· Description of the process used to transfer Public Issue Ratings onto comparable assets in the Banking Book

Long-term Issue Specific Ratings (For the Bank's own exposures or other issuance of debt by the same borrower-constituent/counter-party) or Issuer (borrower-constituents/counter-party) Ratings are applied to other unrated exposures of the same borrower-constituent/counter-party in the following cases:

- If the Issue Specific Rating or Issuer Rating maps to Risk Weight equal to or higher than the unrated exposures, any other unrated exposure on the same counter-party is assigned the same Risk Weight, if the exposure ranks pari-passu or junior to the rated exposure in all respects.
- In cases where the borrower-constituent/counter-party has issued a debt (which is not a borrowing from the Bank), the rating given to that debt is applied to the Bank's unrated exposures, if the Bank's exposure ranks pari-passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of unrated Bank's exposure is not later than the maturity of the rated debt.

Qu	antitative Disclosures as on 31.03.2011	(Amount in ₹ crores)				
(b)	For exposure amounts after risk mitigation subject to the	Below 100% Risk Weight	:	₹	871283.98	
	Standardized Approach, amount of a bank's outstandings	100% Risk Weight	:	-	434615.66	
	(rated and unrated) in each risk bucket as well as those	More than 100% Risk Weight	:	₹	153236.10	
	that are deducted.	Deducted	:	₹	18608.56	
		Total	:	₹	1477744.30	

तालिका डीएफ-6 ऋण जोखिम ऋण जोखिम न्यनीकरण : मानकीकृत पद्धति के लिए प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

• तुलन पत्र में निवल जोखिम मदों को सम्मिलित करने / न करने की सीमा का निर्धारण करने वाली नीतियां एवं प्रक्रियाएं

तुलन पत्र की निवल जोखिम मदें ऐसे ऋणों / अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित रहती हैं जिनके बैंक के पास प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट प्रहणाधिकार प्राप्त है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है; जहां बैंक

- क. के पास यह निर्णय करने का ठोस कानूनी आधार है, कि वह निवल राशि की वसूली / समायोजन संबंधी करार को प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकता है भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया क्यों न हो:
- ख. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण / अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसुली करार के अनुसार निर्धारण कर सकता है;
- ग. निवल आधार पर संबंधित जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, वह अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में ऋणों / अग्रिमों तथा जमाराशियों का निवल जोखिम के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋण / अग्रिम को जोखिम के रूप में तथा जमाराशियों को संपार्शिवक के रूप में समझा गया है।

• संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ

देशीय बैंकिंग इकाइयों में ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एक नीति निर्धारित की गई है, जिसमें पूंजी - परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है। इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण और मूल्यांकन करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पंजी समायोजन किए जा सकें।

इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके द्वारा ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपारिर्वक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपारिर्वक प्रतिभृति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सके। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है :

- (i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण
- (ii) स्वीकार्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीक
- (iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया
- (iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मृल्यांकन
- (V) मार्जिन और संतुलन अपेक्षाएं
- (vi) विदेशी रेटिंग
- (vii) संपार्श्विक प्रतिभृति की अभिरक्षा
- (viii) बीमा
- (ix) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी
- (X) सामान्य दिशा-निर्देश

• बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभृतियाँ ली गई हैं उनका ब्योरा

बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयों में मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्शिवक प्रतिभृतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के रूप में मान्यता प्राप्त है:

- (i) नकदी या नकदी समतल्य (बैंक जमाराशियाँ/एनएससी/किसान विकास पत्र / एलआईसी पॉलिसी आदि)
- (ii) स्वण
- (iii) केंद्र / राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभृतियाँ
- (iv) ऐसी ऋण प्रतिभृतियाँ जिन्हें बीबीबी या बेहतर रेटिंग प्राप्त है / अल्पाविध ऋण लिखतों के लिए पीआर3/पी3/एफ3/ए3
- (V) सुचीबद्ध इक्विटी तथा परिवर्तनीय बांड

• मुख्यतया जिस प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता स्वीकार किए जाते हैं उनका ब्योरा और उनकी ऋण - पात्रता

बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करती हैं :

- सरकार, सरकारी संस्थाएँ (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपीय केंद्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुदेशीय विकास बैंक, ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई, सरकारी क्षेत्र के उद्यम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) जिनका प्रतिपक्ष की तुलना में कम जोखिम भार हो।
- अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबद्ध कंपनी या अनुषंगी हो तो उनका जोखिम भार गारंटी के लिए बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त बाध्यताधारी (ऑब्लिगर) से कम होना चाहिए। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के समान होनी चाहिए जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं में (गारंटियों में भी) हिस्सेदारी है ।
- कारपोरेट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र
- पर्याप्त एवं स्वीकार्य संपत्ति वाले व्यक्ति तथा अन्य पक्षकार
- गैर वित्तीय संपार्शिवक के रूप में बही ऋणों / प्राप्यों तथा भू संपत्ति के बंधक को स्वीकार किया जाता है।

जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋणों) के बारे में जानकारी :

बैंकिंग इकाइयों का आस्ति - संविभाग भलीभांति विविधीकृत है जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्शिवक प्रतिभृतियाँ प्राप्त की गई हैं, यथा :-

- ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय तथा गैर वित्तीय संपार्शिवक प्रतिभूतियाँ [इकाइयों द्वारा रखी गई अधिकांश वित्तीय संपार्शिवक आस्तियां उनकी अपनी जमाराशियां तथा स्वर्ण के रूप में होती हैं जो आसानी से निर्गमन योग्य हैं तथा इस प्रकार इनके ऋण जोखिम न्युनीकरण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।
- सरकारों और अच्छी रेटिंग वाले कारपोरेटों द्वारा गारंटियाँ,

	मात्रात्मक प्रकटीकरण	(राशि ₹ करोड़ में)
(ख	g) प्रत्येक पृथक प्रकट ऋण जोखिम पोर्टफोलिओ का कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र में शामिल या शामिल न किए गए ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहाँ लागू हैं) जो कटौतियाँ लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया है।	2,42,178.53
(ग	 प्रत्येक पृथक प्रकट ऋण जोखिम पोर्टफोलिओ का कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र में शामिल या शामिल न किए गए ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहाँ लागू हैं) जो गारंटियों / क्रेडिट डेरिवेटिव्स द्वारा सुरक्षित किया गया है। (जहाँ कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमित प्रदान की गई है) 	69036.31

TABLE DF-6 : CREDIT RISK Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach

(a) Qualitative Disclosures

· Policies and Processes for, an indication to the extent to which the Bank makes use of, on-and off-balance sheet netting

On-Balance sheet netting is confined to loans/advances and deposits, where the Bank have legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation. The Bank calculates capital requirements on the basis of net credit exposures subject to the following conditions;

- has a well-founded legal basis for concluding that the netting or offsetting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;
- b. is able at any time to determine the loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting agreement; and
- c. monitors and controls the relevant exposures on a net basis, it may use the net exposure of loans/advances and deposits as the basis for its capital adequacy calculation. Loans / advances are treated as exposure and deposits as collateral.

Policies and Processes for Collateral Valuation and Management

Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, addressing the approach towards the credit risk mitigants used for capital calculation has been put in place in Domestic Banking entities. The objective of this Policy is to enable classification and valuation of credit risk mitigants in a manner that allows regulatory capital adjustment to reflect them.

The Policy adopts the Comprehensive Approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts), wherever applicable, against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral. The following issues are addressed in the Policy:

- (i) Classification of credit risk-mitigants.
- (ii) Acceptable credit risk-mitigants techniques.
- (iii) Documentation and legal process requirements for credit risk-mitigants.
- (iv) Valuation of collateral.
- (v) Margin and haircut requirements.
- (vi) External ratings.
- (vii) Custody of collateral.
- (viii) Insurance.
- (ix) Monitoring of credit risk mitigants.
- (x) General guidelines.

Description of the main types of Collateral taken by the Bank

The following collaterals are usually recognized as Credit Risk Mitigants under the Standardised Approach by the Domestic Banking entities of the Bank:

- (i) Cash or Cash equivalent (Bank Deposits/NSCs/KVP/LIC Policy, etc.).
- (ii) Gold.
- (iii) Securities issued by Central / State Governments.
- (iv) Debt securities rated BBB- or better/ PR3/P3/F3/A3 for Short-Term Debt Instruments.
- (v) Listed equity and convertible bonds.

Main types of Guarantor Counterparty and their creditworthiness

The Domestic Banking entities of the Bank accepts the following as eligible guarantors, in line with RBI Guidelines:

- Sovereign, Sovereign entities [including Bank for International Settlements (BIS), International Monetary Fund (IMF), European Central Bank and European Community as well as Multilateral Development Banks, Export Credit & Guarantee Corporation (ECGC) and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)], Public Sector Enterprises (PSEs), Banks and Primary Dealers with a lower risk weight than the Counterparty.
- Other guarantors having an external rating of AA or better. In case the guarantor is a parent company, affiliate or subsidiary, they should enjoy a risk weight lower than the obligor for the guarantee to be recognised by the Bank. The rating of the guarantor should be an entity rating which has factored in all the liabilities and commitments (including guarantees) of the entity.
- Corporates public and private sector.
- Individuals and other third parties of adequate and acceptable worth.
- · Book-debts/receivables and mortgage of landed property are accepted as non-financial collateral.

Information about (Market or Credit) risk concentrations within the mitigation taken

The Banking entities have a well-dispersed portfolio of assets which are secured by various types of collaterals, such as:-

- Eligible financial and non-financial collaterals listed above. [Majority of financial collaterals held by the entities are by way of own deposits and gold which are easily realisable and as such the risk concentration of credit risk mitigants is low]
- Guarantees by sovereigns and well-rated corporates.

Quantitative Disclosures:	(Amount in ₹ crores)
(b) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	2,42,178.53
(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	69,036.31

तालिका डीएफ-7: प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण

	गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क)	प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा जिसमें उसका विवेचन भी शामिल है, के अनुसार निम्नलिखित विवरण दिया गया है :	
)	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक का क्या लक्ष्य रहा है ? यह भी बताएं कि इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणों में विद्यमान ऋण-जोखिम को कितनी मात्रा में बैंक के बाहर अर्थात अन्य संस्थाओ को अंतरित किया गया है।	निरंक
	• प्रतिभूत आस्तियों में पहले से विद्यमान अन्य जोखिमों (जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप।	लागू नहीं
	 प्रितिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह, किया जाता है (उदाहरणार्थ प्रवर्तक, निवेशक, सेवाप्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, नकदी प्रदाता, विनिमय प्रदाता[®], संरक्षण प्रदाता[®]) और उनमें से प्रत्येक में बैक की संबद्धता @ संबंधित आस्तियों के ब्याज दर / करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी भी बैंक द्वारा ब्याज दर विनिमय अथवा करेंसी विनिमय के रूप में नियामक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर निर्धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। # कोई भी बैंक नियामक दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर गारंटियों, ऋण डेरीवेटिक्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है। 	लागू नहीं
	• प्रतिभूतिकरण निवेशों में ऋण और बाजार जोखिम में होने वाले परिवर्तनों (अर्थात संबंधित आस्तियों के मूल्य मे उतार-चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है। इनके बारे में दिनांक । जुलाई 2009 के एनसीएएफ के मास्टर सर्कुलर के पैरा 5.16.1 में उल्लेख है)।	लागू नहीं
	• प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकरार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबंधित बैक की नीति का नीचे वर्णन किया गया है;	लागू नहीं
ख)	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखाकरण नीतियों का निम्नलिखित सहित सारांश निम्नानुसार है:	
	• क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है;	लागू नहीं
	• प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियाँ और प्रमुख पूर्वानुमान (जानकारियों सहित)	लागू नहीं
4	• पिछली अवधि के प्रमुख पूर्वानुमान और लागू की गई पद्धतियों में परिवर्तन तथा उन परिवर्तनों का प्रभाव	लागू नहीं
	• तुलन पत्र में दर्शाई गई देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियाँ जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता हैं	लागू नहीं
Т)	बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीएआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया	लागू नहीं
	गुणात्मक प्रकटीकरण : बैंकिंग बही	
त्र)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि	निरंक
ड़)	चालू अवधि के दौरान ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से हुई किन हानियों को बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबंधित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें	निरंक
च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि	निरंक
<u>3)</u>	(च) में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि	लागू नहीं
ज)	प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के स्वरूप सहित) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियाँ जिन्हें लेखो में शामिल नहीं किया गया है	निरंक
झ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	• तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग अलग विवरण जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	• तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके स्वरूप के अनुसार अलग अलग विवरण	निरंक
স)	• यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबंधित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखिमवार अलग अलग और नियामक द्वारा अलग अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग अलग जोखिम भार	निरंक
	• ऐसे ऋण जोखिम जिन्हें टियर I पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाई गई ऋण-वृद्धियों की राशि तथा कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के स्वरूप के अनुसार अलग अलग)।	लागू नहीं
	गुणात्मक प्रकटीकरण : क्रय-विकय	
ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग अलग विवरण।	निरंक
3)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
,	तुलन पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग अलग विवरण जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिनके संबंध में खरीद की गई है	निरंक
+	 तुलन पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम। प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके स्वरूप के अनुसार अलग अलग विवरण 	 निरंक
ड)	उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि जिन्हें निम्नलिखित के लिए यथावत बनाए रखा गया या जिनके लिए खरीद की गई:	निरंक
1	• कतिपय जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोंग के अंतर्गत यथावत बनाए रखे गए या नए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, और	निरंक
T	• कतिपय जोखिम को देखते हुए निर्धारित प्रतिभूतिकरण सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विवरण	निरंक

	TABLE DF-7: SECURITISATION - DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACE	I
	Qualitative Disclosures	
(a)	The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation including a discussion of:	
	the Bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the Bank to other entities.	NIL
	• the nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitised assets;	NOT APPLICABLE
	 the various roles played by the Bank in the securitisation process (For example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider@, protection provider#) and an indication of the extent of the Bank's involvement in each of them; A Bank may have provided support to a securitisation structure in the form of an interest rate swap or currency swap to mitigate the interest rate/currency risk of the underlying assets, if permitted as per regulatory rules. A Bank may provide credit protection to a securitisation transaction through guarantees, credit derivatives or any other similar product, if permitted as per regulatory rules. 	N.A.
	 a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures (for example, how the behaviour of the underlying assets impacts securitisation exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular on NCAF dated July 1, 2009). a description of the Bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitisation exposures; 	N.A.
(b)	Summary of the Bank's accounting policies for securitization activities, including:	
	• whether the transactions are treated as sales or financings;	NA.
	methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased	N.A
	• changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;	N.A
	• policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the Bank to provide financial support for securitised assets.	N.A
(c)	In the Banking book, the names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.	N.A
	Qualitative Disclosures: Banking Book	
l	The total amount of exposures securitised by the Bank.	NIL
(e)	For exposures securitised losses recognised by the Bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	NIL
(f)	Amount of assets intended to be securitised within a year	NIL
(g)	Of (f), amount of assets originated within a year before securitisation.	N.A.
(h)	The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognised gain or losses on sale by exposure type.	NIL
(i)	Aggregate amount of:	
	• on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and	NIL
	• off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type	NIL
(j)	 Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted 	NIL
	from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	N.A.
	Qualitative Disclosures: Trading Book	
	Aggregate amount of exposures securitised by the Bank for which the Bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.	NIL
(I)	Aggregate amount of: • on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and	NIL
	off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type.	NIL
(m)	Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased separately for:	NIL
	securitisation exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and	NIL
	securitisation exposures subject to the securitisation framework for specific risk broken down into different risk weight bands.	NIL

तालिका डीएफ-7: प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण (जारी)

(ন্ত)	निम्नलिखित की कुल राशि :	निरंक			
	• प्रतिभूतिकरण की निर्धारित सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूंजीगत अपेक्षा	राशि ₹ करोड़		ा ₹ करोड़ में	
		मद	बही	बाजार	पूंजी
			मूल्य	मूल्य	पर्याप्तता
	• टियर I पूंजी में से पूर्णतया घटाए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के स्वरूप के अनुसार अलग अलग)	प्रतिभूति रसीदें	144.74	47.98	23.99*

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 23.99 करोड़ (प्रतिभूति - रसीदों में किए गए निवेश के बाजार मूल्य का 50%) टियर I पूंजी में से घटाया गया है। शेष 50% टियर II पूंजी में से घटाया गया है।

तालिका डीएफ-8 व्यापार-बही में बाजार-जोखिम

31.03.2011 की मानकीकृत अवधि पद्धति का उपयोग करते हुए बैंकों के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण : देशी बैंकिंग इकाइयाँ:

- 1) बाजार जोखिम की गणना के अंतर्गत मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा निम्नलिखित संविभागों को शामिल किया गया है :
 - 'व्यापार के लिए रखी गई' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली प्रतिभृतियाँ ।
 - 'व्यापार के लिए रखी गई' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों की प्रतिभूतियों की प्रतिरक्षा के लिए और व्यापार के लिए डेरीवेटिव्स निष्पादित किए गए।
- 2) जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक और अन्य अनुषंगियों के संबंधित बोर्डों के अनुमोदन के आधार पर बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी)/मध्य कार्यालय खोले गए हैं।
- 3) बाजार जोखिम इकाइयां कोष परिचालनों में बाजार जोखिम की पहचान, उनके मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं।
- 4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों सहित बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापार और विनिधान नीतियां लागू की गई हैं।
- 5) जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और निर्धारित अंतरालों पर स्थिति की सुचना शीर्ष प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है।
- 6) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार आशोधित अवधि, आधार बिन्दु का कीमत मूल्य, अधिकतम अनुमत जोखिम, निवल आरंभिक राशि सीमा, पूरक सीमा, जोखिम मृल्य जैसे मानदंडों पर की जाती है।
- 7) जोखिम रूपरेखाओं का विश्लेषण किया जाता है और उनकी प्रभावकारिता की निरंतर आधार पर निगरानी की जाती है।
- 8) फॉरेक्स ओपन पोजीशन सीमाएं (दिन/रात), हानि नियंत्रित सीमाएं, प्रति मुद्रा व्यापार के संबंध में लाभ/हानि की उचित निगरानी रखी जाती है और अपवादात्मक सूचना पर नियमित ध्यान दिया जाता हैं।
- 9) विदेशी बैंकिंग इकाइयां अपने निवेश-संविभाग की निगरानी उस देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं और बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार करती हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए हानि नियंत्रित सीमा और जोखिम सीमाएँ निर्धारित की गई है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार - बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम विनियामक पूँजी अपेक्षा निम्नवत है :

ब्याज दर जोखिम
(ईरीवेटिव्स सहित)
: 2833.47
 ईिववटी स्थिति जोखिम
: 2241.49
 विदेशी विनिमय जोखिम
: 110.55
 योग
: 5185.51

TABLE DF-7 : (CONTD....)

(n)	Aggregate amount of:	NIL			
	• the capital requirements for the securitisation exposures, subject to the securitisation		Amount ₹ in crores		
	framework broken down into different risk weight bands.	Item			Capital
			Value	Value	Adequacy
		Security		47.98	23.99*
		Receipts			
	capital (by exposure type).				

^{*} In terms of RBI guidelines, ₹ 23.99 crores (being 50% of the Market Value of investment in Security Receipts) has been deducted from the Tier I capital. The remaining 50% has been deducted from Tier II capital.

TABLE DF- 8

MARKET RISK IN TRADING BOOK

Disclosures for banks using the Standardised Duration Approach

Qualitative disclosures - Domestic Banking entities:

- 1) The following portfolios are covered by the Standardised Duration Approach for calculation of Market Risk:
 - Securities held under the Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) categories.
 - Derivatives entered into for hedging HFT & AFS securities and Derivatives entered into for trading.
- 2) Market Risk Management Department (MRMD)/Mid-Office have been put in place based on the approval accorded by the respective Boards of Banks and other subsidiaries for Risk Management.
- 3) Market Risk units are responsible for identification, assessment, monitoring and reporting of Market Risk in Treasury operations.
- 4) Board approved Trading and Investment policies with defined Market Risk Management parameters for each asset class are in place.
- 5) Risk monitoring is an ongoing process with the position reported to the Top Management and the Risk Management Committee of the Board at stipulated intervals.
- 6) Risk Management and Reporting is based on parameters such as Modified Duration, Price Value Basis Point (PVBP), Maximum Permissible Exposures, Net Open Position Limit, Gap Limits, Value at Risk (VaR) etc., in line with the global best practices.
- 7) Risk Profiles are analysed and their effectiveness is monitored on an ongoing basis.
- 8) Forex open position limits (Daylight/Overnight), Stop Loss limit, Profit/Loss in respect of Cross Currency trading are properly monitored and exception reporting is regularly carried out.
- 9) Overseas Banking subsidiaries are responsible for risk monitoring of their investment portfolio as per the local regulatory requirements through the Board approved Investment and Market Risk Management policies. Stop loss limit for individual investments and exposure limits for certain portfolios have been prescribed.

Quantitative disclosures:

Minimum Regulatory Capital requirements for market risk as on 31.03.2011 is as under:

(₹ in crores)

• Interest Rate Risk : 2833.47

(Including Derivatives)

Equity position risk : 2241.49
 Foreign exchange risk : 110.55
 Total : 5185.51

तालिका डीएफ - 9 : परिचालन-जोखिम

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ उसके प्रत्येक सहयोगी बैंक में कार्यरत है जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है और यह अपने अपने मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करता है।
- अन्य समूह इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों का व्यवसाय मॉडल की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के समग्र नियंत्रण में निपटान किया जा रहा है।

ख. परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां

भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में निम्नलिखित नीतियाँ लागु है :

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, जिसमें परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी न्यूनीकरण एवं रिपोर्ट करने हेतु एक स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना शामिल है, बैंक में लागू है।
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी नीति (बीसीपी) बैंक में लागू है।
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल) उपाय बैंक में लागू हैं।
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागु है।
- आउटसोर्सिंग नीति

नये उत्पाद को शुरू करने से पहले उसकी पुनरीक्षा करने के लिए समग्र उत्पाद पुनरीक्षा समिति गठित की गई है।

देशी गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयाँ

गैर-बैंकिंग व्यावसायिक इकाइयों के लिए उनके व्यावसायिक मॉडल से संबंधित नीतियाँ लागू हैं। विदेशी बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार नीति लागू है। आपदा निराकरण योजना/व्यवसाय निरंतरता योजना, दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोसिंग नीति आदि कुछ नीतियाँ बैंक में लागू हैं।

ग. कार्यनीतियाँ और प्रक्रियाएँ :

देशी बैंकिंग इकाइयों में परिचालन जोखिमों के नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

- बैंक द्वारा एक "अनुदेशावली" जारी की गई है, जिसमें बैंकिंग के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की
 प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में किए गए संशोधन और
 आशोधन सभी कार्यालयों को परिपन्न भेजकर कार्यान्वित किए जाते हैं। दिशानिर्देश और अनुदेश
 जॉब कार्डों, ई-सर्कुलरों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए गए हैं।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित मैन्अल और परिचालन अनुदेश।
- बैक द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में सभी कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों की सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) के अंतर्गत लाया गया है।
- जीखिम का प्रबंध बेहतर ढंग से करने के लिए परिचालन जीखिमों के कारण होने वाले नुकसानों का एक व्यापक आंकड़ा आधार तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
- शाखाओं से हानि करीबी मामलों सिंहत हानि के आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक वैब आधारित टूल तैयार किया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण परिचालन जोखिम की जानकारी बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केंद्रों में विभिन्न श्रीणयों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में शामिल की गई है।
- धोखाधाड़ियों को छोड़कर बैंक द्वारा भावी परिचालन जोखिम वाले अधिकांश मामलों के लिए बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखापरीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और कातितय नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। वे आकड़ों की वैधता के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- वंब आधारित जोखिम और नियंत्रण स्व मूल्यांकन (आरसीएसए) प्रक्रिया की देशी शाखाओं और केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्रों में शुरुआत की जा रही है, तािक बैंक में परिचालन जोखिमों की पहचान, आकलन, नियंत्रण और न्यूनीकरण किया जा सके। भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में आरसीएसए प्रक्रिया में आकलित उच्च जोखिम परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक में व्यापक परिचालन जोखिमों का विस्तृत आकलन फोकस ग्रुप द्वारा किया जाता है। इस फोकस ग्रुप में नियंत्रक कार्यालयों के विषठ अधिकारी शामिल होते हैं। ये ग्रुप सम्पूर्ण बैंक में कार्यान्वयन करने हेतु नियंत्रण एवं (जोखिम) कम करने के उपाय भी सुझाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक में बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए मंडलों में जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है।

देशी गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयाँ

प्रणाली, कार्यविधि और रिपोर्टिंग के माध्यम से पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।

घ. जोखिम रिपोर्ट करने एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति-

- धोखाधड़ी पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की एक प्रणाली बैंक में लागू है।
- निवारक संतर्कता की एक व्यापक प्राणाली समूह की सभी व्यवसाय इकाइयों में स्थापित की गई है।
- दिनांक 31.03.2011 के लिए, परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों की औसत सकल आय के 15% के पूंजी प्रभार के साथ मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

तालिका डीएफ-10 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक की निवल ब्याज आय तथा उसकी आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव से संबंधित है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल हैं। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। तुलन-पत्र की स्थिति के आधार पर बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरें बैंक को प्रभावित करती हैं। ब्याज दर जोखिम बैंक के तुलन-पत्र की आस्ति एवं देयता दोनों तरफ रहता है।

आस्ति देवता प्रबंधन सिमित तुलन-पत्र जोखिमों की अनवस्त पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देवता प्रबंधन नीति के जिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अत: आस्ति देवता प्रबंधन सिमित जोखिमों एवं प्रतिलाभों, निर्धायन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमाराशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निर्दिष्ट प्रकार के जोखिमों (उदाहरण के लिए व्याज दर, चलिमिध आदि) के लिए निवेश के स्वीकृत स्तर निर्धारित कर आस्ति देवता प्रबंधन सिमित बाजार जोखिम कार्यनीति भी विकसित करती है। निर्देशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धित की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

- 1.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को तैयार किया जाता है, के जिरए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रवंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों और देयताओं दीनों में ब्याजदर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होनेवाले परिवर्तन का आकलन करती है।
- 1.2 अविध विश्लेषण के जिरए बैंक के निवेशों के अचल आय संविभाग की ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। बैंक, उसकी आिस्तियों एवं देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दरों में पिरवर्तन के असर का मूल्यांकन करने के लिए तिमाही आधार पर अविध अंतर विश्लेषण भी करता है और इस प्रकार ईविवटी के बाजार मूल्य के परिवर्तन का पता लगाता है। ईविवटी के मूल्य में (आरिक्षितियों सिहत) और आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 1% समान अंतर के बीच परिवर्तन का अनुमान किया जाता है।
- 1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है :

ब्याज दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूँजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों	
के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
ईक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं	
के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	20%

1.4 बाजार जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल प्रभाव को पूँजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबिक शेष पूँजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

एसबीआई समूह के परिमाणात्मक प्रकटीकरण जोखिम पर अर्जन

(₹ करोड में)

विवरण	निवल ब्याज
	आय पर प्रभाव
आस्ति और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर	
का निवल ब्याज आय पर प्रभाव	3587.47

ईक्किटी का बाजार मल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज
	आय पर प्रभाव
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर	
का ईक्विटी बाजार मूल्य पर प्रभाव	3423.96

TABLE DF-9: OPERATIONAL RISK

A. The structure and organization of Operational Risk Management function

- The Operational Risk Management Department is functioning in SBI as well as each of the Associate Banks as part of the Integrated Risk Governance Structure under the control of respective Chief Risk Officer.
- The operational risk related issues in other Group entities are being dealt with as per the requirements of the business model under the overall control of Chief Risk Officers of respective entities

B. Policies for control and mitigation of Operational Risk

- The following policies are in place in SBI and Associate Banks:
 Operational Risk Management policy, seeking to establish explicit and consistent Operational Risk Management Framework for systematic and proactive identification, assessment, measurement, monitoring, mitigation productive fuentinication, assessment, measurement, monitoring, mitigation and reporting of the Operational Risks.

 Policy on Business Continuity Planning (BCP).

 Policy on Know Your Customer (KYC) Standards and Anti Money
- Laundering (AML) Measures.
- Policy on Fraud Risk Management.

Outsourcing Policy.

In addition, Overall Product Vetting Committee for vetting of new products is in place.

Domestic Non-Banking and Overseas Banking entities

Policies as relevant to the business model of non-banking entities and as per the requirements of the overseas regulators in respect of overseas banking entities are in place. A few of the policies in place are - Disaster Recovery Plan/ Business Continuity Plan, Incident Reporting Mechanism, Outsourcing Policy, etc.

C. Strategies and Processes

The following measures are being used to control and mitigate Operational Risks in the Domestic Banking entities:

- "Book of Instructions", which contains detailed procedural guidelines for processing various banking transactions. Amendments and modifications to update these guidelines are being carried out regularly through circulars. Guidelines and instructions are also propagated through Job Cards, E-Circulars, Training Programs, etc.

 Manuals and operating instructions relating to Business Process
- Reengineering (BPR) units.
- Delegation of Financial powers, which details sanctioning powers of various levels of officials for different types of financial transactions. All branches of State Bank and Associate Banks are under Core Banking
- System (CBS).
- The process of building a comprehensive database of losses due to Operational Risks has been initiated, to facilitate better risk management.
- A web-based tool for collecting loss data, including Near Misses, from Branches has been developed to facilitate better risk management.
- Training of staff Inputs on Operational Risk is included as a part of Risk Management modules in the training programmes conducted for various categories of staff at Bank's Apex Training Institutes and Staff Learning Centers.
- Insurance cover is obtained for most of the potential operational risks excluding frauds.
- Internal Auditors are responsible for the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the control systems and the functioning of specific control procedures. They also conduct review of the systems established to ensure compliance with legal and regulatory requirements, codes of conduct and the implementation of policies and procedures.
- They are also responsible for validation of data.

 Web-based Risk and Control Self Assessment (RCSA) process has been rolled out for identification, assessment, control and mitigation of Operational Risks in the Bank. Top risks identified in the RCSA exercises are being reported to Operational Risk Management Committee (ORMC) in SBI and Associate Banks.
- In SBI, detailed assessment of significant Operational Risks is conducted by Focus Groups consisting of senior officials at Controlling Offices. These Groups also suggest control and mitigation measures for implementation across the Bank.
- In SBI, Risk Management Committee has been constituted in the Circles for better Operational Risk Management.

Domestic Non-Banking and Overseas Banking entities

Adequate measures by way of systems and procedures and reporting has been put in place.

D. The scope and nature of Risk Reporting and Measurement Systems

- A system of prompt submission of reports on Frauds is in place in all the Group entities.
- A comprehensive system of Preventive Vigilance has been established in all the Group entities.
 For 31.03.2011, Basic Indicator Approach with capital charge of 15%
- of average gross income for previous 3 years is applied for Operational Risk except Insurance Companies.

TABLE DF-10

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures

Interest Rate Risk

Interest rate risk refers to impact in Bank's Net Interest Income and the value of its assets and liabilities arising from fluctuations in interest rate due to internal and external factors. Internal factors include the composition of the Bank's assets and liabilities, quality, maturity, interest rate and re-pricing period of deposits, borrowings, loans and investments. External factors cover general economic conditions. Rising or falling interest rates impact the Bank depending on Balance Sheet positioning. Interest rate risk is prevalent on both the asset as well as the liability sides of the Bank's Balance Sheet.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) is responsible for evolving appropriate systems and procedures for ongoing identification and analysis of Balance Sheet risks and laying down parameters for efficient management of these risks through Asset Liability Management Policy of the Bank. ALCO, therefore, periodically monitors and controls the risks and returns, funding and deployment, setting Bank's lending and deposit rates, and directing the investment activities of the Bank. ALCO also develops the market risk strategy by clearly articulating the acceptable levels of exposure to specific risk types (i.e. interest rate, liquidity etc). The Risk Management Committee of the Board of Directors (RMCB) oversees the implementation of the system for ALM and review its functioning periodically and provide direction. It reviews various decisions taken by Asset - Liability Management Committee (ALCO) for managing market risk.

- 1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk at monthly intervals through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Repricing Gaps) to be prepared as the last Reporting Friday of each month. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.
- 1.2 Interest rate risk in the Fixed Income portfolio of Bank's investments is managed through Duration analysis. Bank also carries out Duration Gap analysis (on quarterly basis) to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis by recognizing the changes in the value of assets and liabilities by a given change in the market interest rate. The change in the value of equity (including reserves) with 1% parallel shift in interest rates for both assets and liabilities is estimated.
- 1.3 The following prudential limits have been fixed for monitoring of various interest risks:

Changes on account of Interest rate volatility	Maximum Impact (as % of Capital and Reserve)
Changes in Net Interest Income (with 1% change in interest rates for both assets and liabilities)	5%
Change in Market value of Equity (with 1% change in interest rates for assets and liabilities)	20%

1.4 The prudential limit aims to restrict the overall adverse impact on account of interest rate risk to the extent of 20% of capital and reserves, while part of the remaining capital and reserves serves as cushion for others.

Quantitative Disclosures for SBI Group Earnings at Risk (EaR)

(₹ in crores)

Particulars	Impact on NII
Impact of 100 bps parallel shift in interest rate on both assets and liabilities on Net Interest	
Income (NII)	3587.47

Market Value of Equity (MVE)

(₹ in crores)

Particulars	Impact on	MVE
Impact on 100 bps parallel shift in interest rate on both assets and liabilities on Market Value		
of Equity (MVE)	34	123.96

डीएफ - समूह जोखिम समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण		
समूह की कंपनियों के संबंध में **		
[विदेश में स्थित बैंकिंग कंपनियाँ, देश	में स्थित बैंकिंग कंपनियाँ और गैंर-बैंकिंग कंपनियाँ]	
सामान्य विवरण		
कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने कारपोरेट गवर्नेंस की श्रेष्ट प्रथाओं को अपनाया है।	
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने प्रकटीकरण से संबंधित श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया है / उनका अनुपालन कर रही हैं।	
समूह के भीतर किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में तात्कालिक नीति का पालन	यह प्रमाणित किया जाता है कि स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन तात्कालिक आधार पर निष्पादित किए गए हैं चाहे उनके कारोबारी जोखिम प्रबंधन का मामला हो या प्रतिभूतियों के प्रावधान आदि का मामला हो।	
साझा विपणन, ब्रांडिंग और एसबीआई के प्रतीक चिह्न का उपयोग	समूह की किसी भी कंपनी ने एसबीआई के प्रतीक चिहन का इस ढंग से कभी उपयोग नहीं किया जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि समूह की कंपनियाँ साझे विपणन, ब्रॉडिंग में एसबीआई के नाम का अव्यक्त ढंग से उपयोग कर रही हैं।	
वित्तीय सहायता का ब्योरा [#] , यदि कोई हो	समूह की किसी भी कंपनी ने समूह की किसी अन्य कंपनी को न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है / न ही प्राप्त की है।	
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की सभी बातों का समूह की कंपीनयों द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।	

- # समूह के भीतर किए गए निम्निलिखित लेनदेन मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' माने गए है:
- क) समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण;
- ख) समूह की इकाइयों को जिस तात्कालिक नीति का पालन करते हुए कारोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना;
- ग) समृह के भीतर अलग अलग कंपनियों की ऋण चुकौती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ना;
- घ) पूंजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना;
- ङ) 'प्रति चुकौती में चूक संबंधी शर्तो' को लागू करना जिनके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई किसी वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

**सम्मिलित कंपनियाँ :

बैंकिंग-देश में स्थित	बैंकिग-विदेश में स्थित	गैर-बैंकिग
भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई (कैलिफोर्निया)	एसबीआई डीएफएचआई लि.
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	एसबीआई (कनाडा)	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा.लि.
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	एसबीआई (मारीशस)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	पी टी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.		एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
		एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
		एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटिज सर्विसेस प्रा. लि.

DF - GR Additional Disclosures on Group Risk

Qualitative Disclosure		
In respect of Group entities **		
[Overseas Banking entities, Domestic Banking entities and Non-Banking entities]		
General Description on		
Corporate Governance Practices Corporate Governance	All Group Entities adhere to good practices.	
Disclosure Practices	All Group Entities adhere to / follow good disclosure practices.	
Arm's Length Policy in respect of Intra Group Transactions	It is certified that all Intra-Group transactions within the State Bank Group have been effected on Arm's Length basis, both as to their commercial terms and as to matters such as provision of security.	
Common marketing, branding and use of SBI's Symbol	No Group Entity has made use of SBI symbol in a manner that may indicate to public that common marketing, branding implies implicit support of SBI to the Group Entity.	
Details of Financial Support#, if any	No Group Entity has provided / received Financial Support from any other entity in the Group.	
Adherence to all other covenants of Group Risk Management Policy	All covenants of the Group Risk Management Policy have meticulously been complied with by the Group Entities.	

- *Intra-group transactions which may lead to the following have been broadly treated as 'Financial Support':
- a) inappropriate transfer of capital or income from one entity to the other in the Group;
- b) vitiation of the Arm's Length Policy within which the Group entities are expected to operate;
- adverse impact on the solvency, liquidity and profitability of the individual entities within the Group;
- d) evasion of capital or other regulatory requirements;
- e) operation of 'Cross Default Clauses' whereby a default by a related entity on an obligation (whether financial or otherwise) is deemed to trigger a default on the Bank in its obligations.
- ** Entities covered

Banking–Domestic	Banking-Overseas	Non–Banking
State Bank of India	SBI (California)	SBI DFHI Ltd.
State Bank of Bikaner & Jaipur	SBI (Canada)	SBI Pension Funds Pvt. Ltd.
State Bank of Hyderabad	SBI (Mauritius)	SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd.
State Bank of Mysore	Commercial Bank of India LLC, Moscow	SBI Global Factors Ltd.
State Bank of Patiala	Nepal SBI Bank Ltd.	SBI Funds Management Pvt. Ltd.
State Bank of Travancore	PT Bank SBI Indonesia	SBI Life Insurance Co. Ltd.
SBI Commercial & International Bank Ltd.		SBI General Insurance Co. Ltd.
		SBI Capital Markets Ltd.
		SBI SG Global Securities Services Pvt. Ltd.